

अध्याय - 2

कार्यपालन सारांश

हमने जो इस अध्याय में प्रमुखता से दर्शाया है

इस अध्याय में हमने “वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्व बकाया की वसूली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, जिसमें ₹ 49.30 करोड़ का राजस्व प्रभाव अंतर्निहित है तथा वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा क्षेत्रीय सहायक आयुक्तों के कार्यालय में वाणिज्यिक कर के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान लिये गये प्रेक्षणों से चयनित ₹ 11.76 करोड़ के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों को प्रस्तुत किया है जहाँ हमने पाया कि अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

यह चिंता का विषय है कि इसी तरह की चूकों को विगत कई वर्षों के दौरान हमारे द्वारा बार-बार लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया है, लेकिन विभाग ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

कर संग्रहण

वर्ष 2011-12 में वाणिज्यिक कर से संग्रहीत कर में विगत वर्ष की तुलना में 22.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण विभाग द्वारा बेहतर कर अनुपालन बताया गया।

विगत वर्षों में हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रेक्षणों के सम्बंध में विभाग द्वारा बहुत कम वसूली

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान, हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 5,111 प्रकरणों में गलत छूट, टर्न ओवर को छिपाने/दबाने, कर की गलत दर लागू किये जाने तथा गलत संगणना आदि के कारण ₹ 858.40 करोड़ के राजस्व के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/हानि को इंगित किया था। इनमें से विभाग ने 2,286 प्रकरणों में ₹ 249.60 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है। स्वीकार की गई आपत्तियों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम 0.74 प्रतिशत से 6.26 प्रतिशत के मध्य रहा और 430 प्रकरणों में ₹ 4.84 करोड़ की वसूल अब तक की जा चुकी है।

वर्ष 2011-12 में हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के परिणाम वर्ष 2011-12 में हमने वाणिज्यिक कर से सम्बंधित 102 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा 872 प्रकरणों में ₹ 128.02 करोड़ के कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं का पता चला।

विभाग ने 341 प्रकरणों में ₹ 5.30 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें हमारे द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान इंगित किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान तीन प्रकरणों में ₹ 1.17 लाख की राशि वसूल की गई थी।

हमारा निष्कर्ष

विभाग को हमारे द्वारा इंगित किये गये प्रवेश कर/क्रय कर के अनारोपण/कम आरोपण, कर मुक्ति की गलत स्वीकृति, बंद इकाइयों से कर की वसूली न होना, वृत्ति कर की प्राप्ति न होना, शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, परिवहनकर्ताओं पर कर का अनारोपण, बिना घोषणा पत्रों के विक्रय पर कर का अनारोपण/कम आरोपण आदि के कारण राशि को वसूल करने के लिये त्वरित कार्रवाई प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, विशेषकर उन प्रकरणों में जहाँ विभाग ने हमारे निष्कर्षों को स्वीकार किया है।

अध्याय – 2 वाणिज्यिक कर

2.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग प्रमुख हैं। विभाग पाँच क्षेत्रों में विभाजित है, क्षेत्रीय अपर आयुक्त प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख हैं। सभी क्षेत्र 15 संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, प्रत्येक संभाग का प्रमुख उपायुक्त होता है। इन संभागीय कार्यालयों के अन्तर्गत 80 वृत्त कार्यालय और 33 क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय हैं जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक आयुक्त हैं। वाणिज्यिक कर का आरोपण एवं संग्रहण, जिनमें विक्रय कर/मूल्य संवर्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेश कर, वृत्ति कर एवं विलासिता कर शामिल हैं, निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों एवं उनके अधीन जारी अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत प्रशासित किया जाता है :

- मध्य प्रदेश वैट (एम.पी.वैट) अधिनियम, 2002;
- मध्य प्रदेश वैट (एम.पी.वैट) नियम, 2006;
- मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994, (1995 का क्रमांक 5);
- मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर नियम, 1995;
- केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय विक्रय कर पंजीयन एवं टर्न ओवर (आर. एण्ड टी.) नियम, 1957;
- मध्य प्रदेश विक्रय कर (केन्द्रीय) नियम, 1957;
- मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976;
- मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1976;
- मध्य प्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995;
- मध्य प्रदेश वृत्ति कर नियम, 1995;
- मध्य प्रदेश विलासिता कर अधिनियम, 1988 और
- मध्य प्रदेश विलासिता कर नियम, 1988


2.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर करों से वास्तविक प्राप्तियों को उसी अवधि की कुल कर प्राप्तियों सहित निम्न तालिका एवं रेखा ग्राफ में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता अधिकता (+)/ कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वैट/विक्रय व्यापार पर कर की वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों की तुलना में प्रतिशत
2007-08	5700.00	6045.07	(+) 345.07	(+) 6.05	12017.64	50.30
2008-09	6720.00	6842.99	(+) 122.99	(+) 1.83	13613.50	50.27
2009-10	7894.11	7723.82	(-) 170.29	(-) 2.16	17272.77	44.72
2010-11	9320.00	10256.76	(+) 936.76	(+) 10.05	21419.33	47.89
2011-12	11830.00	12516.73	(+) 686.73	(+) 5.80	26973.44	46.40

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन का बजट अनुमान एवं वित्त लेखे)



यह देखा जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता का प्रतिशत (-) 2.16 तथा 10.05 के मध्य रहा।

वर्ष 2011-12 में, विक्रय, व्यापार आदि पर करों से संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में 22.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण विभाग द्वारा बेहतर कर अनुपालन बताया गया।

2.3 निर्धारिती का विवरण

विभाग ने प्रतिवेदित किया कि वर्ष 2011-12 के दौरान 2,35,848 पंजीयत व्यवसायी थे जिनमें से 51,916 बड़े करदाता तथा 1,83,932 छोटे करदाता थे। ऐसे सभी पंजीयत व्यवसाइयों द्वारा, जिनकी कुल विक्रय राशि ₹ 20 लाख तक है या जो ₹ 10,000 तक वार्षिक कर का भुगतान करते हैं, वार्षिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं जबकि अन्य व्यवसाइयों द्वारा त्रैमासिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी होती हैं। ऐसे व्यवसाइयों के प्रकरण में, जो विवरणियाँ, अग्रिम कर आदि प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, सक्षम अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किए जाते हैं। विभाग ने आगे बताया कि प्राप्त विवरणियों की संख्या मुख्यालय कार्यालय पर संघारित नहीं की जाती है। इस प्रकार, विभाग में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवीक्षण प्रणाली का अभाव है।

2.4 विक्रय, व्यापार आदि पर करों का बकाया

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर करों के बकाया की स्थिति आगामी तालिका में दर्शायी गई है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के अंत तक संग्रहण	शेष बकाया
2007-08	584.25	739.77	752.48	571.54
2008-09	571.54	1,086.23	1,111.73	546.04
2009-10	546.04	1,206.32	1,165.41	586.95
2010-11	586.95	1,214.02	1,271.17	529.80
2011-12	529.80	1,667.19	1,679.06	517.93

2.5 निर्धारण का बकाया

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान प्रत्येक वर्ष से सम्बंधित विक्रय कर/वैट, व्यवसाय कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, निर्माण संविदाओं पर कर के सम्बंध में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लम्बित प्रकरण, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके अतिरिक्त प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण तथा वर्ष के अन्त में निराकरण हेतु लम्बित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

कर का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण	कुल लंबित कर निर्धारण	वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 5 से 6 का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
विक्रय कर/वैट	2009-10	2,67,035	3,53,048	6,20,083	3,72,161	2,47,922	60.02
	2010-11	2,47,922	2,53,990	5,01,912	3,74,824	1,27,088	74.68
	2011-12	1,24,088 ¹	2,94,265	4,18,353	3,30,229	88,124	78.94
वृत्ति कर	2009-10	1,24,375	1,40,241	2,64,616	1,57,938	1,06,678	59.69
	2010-11	1,06,678	88,196	1,94,874	1,27,626	67,248	65.49
	2011-12	67,248	1,19,154	1,86,402	1,22,991	63,411	65.98
प्रवेश कर	2009-10	1,70,356	2,29,913	4,00,269	2,48,537	1,51,732	62.09
	2010-11	1,51,732	2,00,164	3,51,896	2,62,535	89,361	74.61
	2011-12	89,361	2,27,878	3,17,239	2,55,173	62,066	80.44
विलासिता कर	2009-10	664	1,026	1,690	1,052	638	62.25
	2010-11	638	3,619	4,257	3,234	1,023	75.97
	2011-12	1,023	308	1,331	911	420	68.44
निर्माण सविदाओं पर कर	2009-10	2,541	6,273	8,814	6,183	2,631	70.15
	2010-11	2,631	6,704	9,335	6,593	2,742	70.63
	2011-12	2,742	5,328	8,070	5,450	2,620	67.53

2.6 संग्रहण की लागत

वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा वर्ष 2011-12 के दौरान विक्रय, व्यापार आदि पर करों का सकल संग्रहण, इसके संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर किए गए ऐसे व्यय का प्रतिशत विगत वर्षों में संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	पूर्व वर्ष में संग्रहण पर व्यय का राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
2009-10	7,723.82	89.55	1.16	0.88
2010-11	10,256.76	98.10	0.96	0.96
2011-12	12,516.73	111.36	0.89	0.75

(स्रोत : मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखे)

वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान, विक्रय, व्यापार आदि पर करों के सम्बंध में संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत से अधिक था, जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान यह पूर्व वर्ष के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के समतुल्य था।

¹ विभाग ने बताया (अक्टूबर 2012) कि वर्ष 2011-12 में कर निर्धारण के बकाया का प्रारम्भिक शेष 1,24,088 था, जबकि यह पूर्व अवसर पर वर्ष 2010-11 के लिए सूचित निर्धारण के बकाया के अन्त शेष (1,27,088) से मेल नहीं खाता है। विभाग ने इस अन्तर के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया।

2.7 लेखापरीक्षा का प्रभाव

2.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति (नि.प्र.)

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से 5,111 प्रकरणों में ₹ 858.40 करोड़ के राजस्व प्रभाव से सन्निहित कर के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, कम निर्धारण/गलत छूट के कारण राजस्व की हानि, टर्न ओवर छिपाना/दबाना, कर की गलत दर लागू करना, गलत गणना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 2,286 प्रकरणों में अंतर्निहित ₹ 249.60 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया तथा 430 प्रकरणों में (30 नवम्बर 2012 तक) ₹ 4.84 करोड़ वसूल किये। विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आक्षेपित		स्वीकृत		वसूल की गई		स्वीकृत राशि से वसूली का प्रतिशत
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	
2006-07	75	623	66.37	149	15.33	09	0.96	6.26
2007-08	106	1,002	55.99	519	12.12	24	0.48	3.96
2008-09	102	1,234	181.03	497	39.97	15	0.83	2.08
2009-10	90	1,237	365.51	551	122.70	110	2.13	1.74
2010-11	100	1,015	189.50	570	59.48	272	0.44	0.74
योग		5,111	858.40	2,286	249.60	430	4.84	

पिछले पाँच वर्षों में स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत अत्यन्त कम रहा है।

2.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, हमने 73 कंडिकाओं में ₹ 337.19 करोड़ के अनारोपण/कम आरोपण, वसूली न होना/कम वसूली, कम निर्धारण/गलत छूट के कारण राजस्व की हानि, टर्न ओवर छिपाना/दबाना, कर की गलत दर लागू करना, गलत गणना आदि को इंगित किया था। इनमें से विभाग/शासन ने 54 कंडिकाओं में अंतर्निहित ₹ 139.65 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया था तथा 28 कंडिकाओं में ₹ 107.34 करोड़ वसूल किये। विवरण आगामी तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कंडिकाओं की संख्या	मौद्रिक मूल्य	स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या	स्वीकृत कंडिकाओं का मौद्रिक मूल्य	कंडिकाओं की संख्या जिनके विरुद्ध वसूली की गई	31.03.12 तक वसूल की गई राशि
2006-07	12	21.20	9	16.62	5	0.49
2007-08	16	98.69	14	16.47	10	3.63
2008-09	16	19.48	12	2.29	8	0.81
2009-10	15	112.71	9	102.74	5	102.41
2010-11	14	85.11	10	1.53	निरंक	निरंक
योग	73	337.19	54	139.65	28	107.34

वर्ष 2009-10 को छोड़कर, 2006-07 से 2010-11 के दौरान स्वीकृत प्रकरणों की तुलना में वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा है।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन को कम से कम स्वीकृत प्रकरणों में वसूली की स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना चाहिये।

2.8 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की कार्य प्रणाली

शासन के आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 1982 के अनुपालन में, विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा के लिए 15 पद (पाँच सहायक आयुक्त, पाँच वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा पाँच सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी) स्वीकृत किए गए थे। तथापि, पंजीयत व्यवसायों तथा कर निर्धारण प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि, जाँच चौकियों की स्थापना तथा उपलब्ध स्टाफ को राजस्व कार्य में लगाये जाने के कारण, जहाँ तक कर निर्धारणों की आन्तरिक लेखापरीक्षा का सम्बंध है, आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कार्य नहीं कर रही है। वर्ष 2011-12 के दौरान, केवल स्थापना अभिलेखों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई।

2.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011-12 के दौरान वाणिज्यिक कर से सम्बंधित 102 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 872 प्रकरणों में अन्तर्निहित राशि ₹ 128.02 करोड़ के कर का अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमिततायें दृष्टिगत हुईं जिन्हें आगामी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली (निष्पादन लेखापरीक्षा)	1	49.30
2.	कर का अनारोपण/कम आरोपण	255	19.12

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	कर की गलत दर लागू किया जाना	220	15.83
4.	कर योग्य टर्न ओवर का गलत निर्धारण	71	10.28
5.	छूट/कटौती की गलत स्वीकृति	126	9.74
6.	अन्य अनियमिततायें	199	23.75
	योग	872	128.02

वर्ष के दौरान, विभाग ने 341 प्रकरणों में राशि ₹ 5.30 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिन्हें वर्ष 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान 3 प्रकरणों में राशि ₹ 1.17 लाख की वसूली की गयी। इसके अतिरिक्त, विभाग ने एक प्रारूप कंडिका के माध्यम से इंगित किये गये अंतर्राज्यीय विक्रय से सम्बंधित एक प्रकरण में, जो प्रपत्र सी द्वारा समर्थित नहीं था, सम्पूर्ण राशि ₹ 58,009 वसूल की।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा “वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली” जिसमें ₹ 49.30 करोड़ का राजस्व प्रभाव अन्तर्निहित है तथा ₹ 11.76 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरणों का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

2.10 वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली

प्रमुख अंश

- 1,70,881 प्रकरणों के सम्बंध में बकाया राशि ₹ 28,846 करोड़ (1 अप्रैल 2011 को कुल बकाया राशि का 54.44 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक अवधि से वसूली हेतु लम्बित थे।

(कंडिका 2.10.6.3)

- पृथक वसूली तंत्र के अभाव के कारण बढ़ती हुई बकाया राशि एवं वसूली की कार्रवाई प्रारम्भ करने में असाधारण विलम्ब।

(कंडिका 2.10.7)

- 38 प्रकरणों में अंतर्निहित बकाया कर राशि ₹ 2.86 करोड़ की वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने में चार वर्ष छः माह तक का विलम्ब।

(कंडिका 2.10.9)

- विभाग द्वारा राज्य के बाहर आर.आर.सी. जारी करने में विलम्ब एवं अपर्याप्त कार्रवाई करने के परिणामस्वरूप 31 प्रकरणों में ₹ 28.44 करोड़ की बकाया राशि वसूल नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.11)

- शासकीय परिशोधक के पास लम्बित प्रकरणों का अनुसरण करने में निष्क्रियता के परिणामस्वरूप तीन प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ की बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.12)

- विभाग ने छः प्रकरणों में सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 62.12 लाख की बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.13)

- कुर्क की गई सम्पत्तियों को नीलाम करने में असाधारण विलम्ब के परिणामस्वरूप 12 व्यवसायों से बकाया राशि ₹ 7.11 करोड़ प्राप्त नहीं हुई।

(कंडिका 2.10.14)

- विभाग द्वारा बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित प्रकरणों में संशोधित ऋण पुनर्वास योजना (एम.डी.आर.एस.) के प्रस्तुतीकरण की अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई जिनमें ₹ 3.29 करोड़ की बकाया राशि की वसूली अंतर्निहित थी।

(कंडिका 2.10.15)

2.10.1 प्रस्तावना

विक्रय, व्यापार आदि पर कर/मूल्य संवर्धन कर (वैट) राज्य के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत रहा है तथा वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य के कुल कर राजस्व (₹ 21,419.33 करोड़) का 47.89 प्रतिशत (₹ 10,256.76 करोड़) था। मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (अधिनियम), जो 31 मार्च 2006 तक अस्तित्व में था, का स्थान 1 अप्रैल 2006 से मध्य प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2002 (मध्य प्रदेश वैट अधिनियम) ने ले लिया। अधिनियम और उसके सह अधिनियम के साथ-साथ उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियम विक्रय/क्रय पर कर के आरोपण एवं उद्ग्रहण से सम्बन्धित विधान को शासित करते हैं। कर भुगतान के दायित्वाधीन प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी द्वारा उसके द्वारा देय कर के भुगतान के प्रमाण के साथ, निर्धारित आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं।

अधिनियम/मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के अंतर्गत निर्धारिती द्वारा निर्धारित कर मांग के नोटिस में उल्लेखित तरीके एवं अवधि में भुगतान किया जाना अपेक्षित है। मांग से असंतुष्ट व्यवसायी द्वारा निर्धारित तरीके से अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा सकती है। मांग नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर राशि का भुगतान करने में निर्धारिती की विफलता की स्थिति में विभाग द्वारा असंदत्त राशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की तरह की जाती है। राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) के संस्थापन के पश्चात जारी मांग नोटिस में उल्लिखित निर्धारित अवधि के भीतर यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो चूककर्ता की सम्पत्ति का कुर्की आदेश (आर्डर ऑफ अटेचमेन्ट) जारी किया जाना अपेक्षित है एवं कुर्की की गई सम्पत्ति की नीलामी करने के उपरान्त विक्रयागम प्राप्त से बकाया राशि की वसूली की जा सकती है।

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 24(11)(ख) के अनुसार, कर शास्त्र, ब्याज की राशि एवं राजसात की गई राशि, जो किसी व्यवसायी पर बकाया है एव उससे भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य है, को वसूल करने के उद्देश्य से आयुक्त, वाणिज्यिक कर (सी.सी.टी.) मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (एम पी एल आर सी) के अन्तर्गत प्रदत्त समस्त शक्तियों का उपयोग करेगा एवं समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

हमने “वाणिज्यिक कर विभाग में बकाया राजस्व की वसूली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई, जिसमें कई प्रणालीगत एवं अनुपालन सम्बंधी कमियाँ प्रकट हुईं।

2.10.2 संगठनात्मक संरचना

प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासन स्तर पर विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है। वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त, वाणिज्यिक कर (सी.सी.टी.) के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है जिसकी ऐसे कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए जो उसे अधिनियम के अंतर्गत सौंपे जायें, अपर आयुक्त,

वाणिज्यिक कर (एडिशनल सी.सी.टी.) उपायुक्त (डी.सी.सी.टी.), सहायक आयुक्त (ए.सी.सी.टी.), वाणिज्यिक कर अधिकारी (सी.टी.ओ.), सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (ए.सी.टी.ओ.), वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सी.टी.आई) द्वारा की जाती है। विभाग पाँच क्षेत्रों में विभाजित है प्रत्येक क्षेत्र के प्रमुख एडिशनल सी.सी.टी. होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र संभागीय कार्यालयों में विभाजित हैं, कुल 15 संभागीय कार्यालय हैं जिनके प्रमुख डी.सी.सी.टी. होते हैं और इन संभागों के अन्तर्गत कुल 80 वृत्त कार्यालय हैं जिसके प्रमुख सी.टी.ओ./ए.सी.सी.टी. होते हैं। बकाया को भू-राजस्व बकाया की भांति वसूल किये जाने के उद्देश्य से सी.टी.ओ. एवं ए.सी.टी.ओ. उन सारी शक्तियों का उपयोग करते हैं और उन सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जो म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत तहसीलदार को प्राप्त होते हैं। व्यवसायी द्वारा जमा न की गई कर की बकाया राशि के संबंध में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आर.आर.सी.) जारी करने हेतु प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली किये जाने की कार्यवाही सी.टी.ओ./ए.सी.टी.ओ. द्वारा संस्थापित की जाती है। आवधिक विवरणियों के माध्यम से सी.सी.टी. द्वारा कर की वसूली की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है।

2.10.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु हमने चयनित सात संभागों², के 38 वृत्तों में से 30 वृत्तों के अवधि 2006-07 से 2010-11 से सम्बंधित अभिलेखों का जनवरी तथा अगस्त 2012 के मध्य परीक्षण किया। संभागों को साधारण यादृच्छिक सैम्पलिंग विधि के आधार पर चयनित किया गया। अभिलेखों की नमूना जाँच के लिए वृत्तवार बकाया राजस्व को चयन का आधार माना गया।

2.10.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से निष्पादित की गई थी कि :

- क्या कर की बकाया राशि के संग्रहण की प्रणाली प्रभावी एवं पर्याप्त है;
- क्या अधिनियम/म.प्र. वैट अधिनियम में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये वसूली से सम्बंधित नियमों का उचित प्रकार से पालन किया जा रहा है; तथा
- क्या राजस्व बकाया की त्वरित वसूली हेतु पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण एवं परिवीक्षण प्रणाली विद्यमान है।

² भोपाल संभाग I व संभाग II, ग्वालियर संभाग I, इन्दौर संभाग I, II व III और जबलपुर संभाग II.

2.10.5 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में किये गये सहयोग को स्वीकार करता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर तथा विभाग के अन्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ जुलाई 2012 में एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें हमने संभागों के चयन तथा लेखापरीक्षा के क्षेत्र, उद्देश्यों और कार्य प्रणाली से अवगत कराया। प्रारूप निष्पादन प्रतिवेदन सितम्बर 2012 में शासन तथा विभाग को अग्रेषित किया गया। निर्गम सम्मेलन सितम्बर 2012 में आयोजित किया गया। शासन का प्रतिनिधित्व उप सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग ने किया तथा वाणिज्यिक कर आयुक्त एवं वाणिज्यिक कर अपर आयुक्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। शासन/विभाग के प्रत्युत्तरों को, जहाँ भी प्राप्त हुए हैं, सम्मिलित किया गया है।

2.10.6 बकाया की स्थिति

2.10.6.1 निम्नलिखित तालिका अवधि 2006-07 से 2010-11 के दौरान अधिनियम/वैट अधिनियम के अन्तर्गत बकाया राजस्व के प्रारम्भिक शेष, उसमें वृद्धि, कमी तथा अंतशेष को प्रदर्शित करती है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया के वसूली की स्थिति			
	प्रारम्भिक शेष	वृद्धि	निकासी	अंत शेष
2006-07	759.30	702.79	877.84	584.25
2007-08	584.25	739.77	752.48	571.54
2008-09	571.54	1086.23	1111.73	546.04
2009-10	546.04	1206.32	1165.41	586.95
2010-11	586.95	1214.02	1271.17	529.80

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी)

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि के दौरान, बकाया राशि जो 2006-07 में ₹ 584.25 करोड़ थी, वर्ष 2010-11 में घटकर ₹ 529.80 करोड़ रह गई।

2.10.6.2 विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मार्च 2011 के अन्त में बकाया की वसूली निम्नलिखित स्तरों पर लम्बित थी :

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	राजस्व की वसूली के विभिन्न स्तर	मार्च 2011
(1)	(2)	(3)
1.	विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगित की गई राशि	49.76
2.	किरतों में अंतर्निहित राशि	1.47
3.	राज्य के अन्दर आर.आर.सी.	17.19

(1)	(2)	(3)
4.	राज्य के बाहर आर.आर.सी.	83.32
5.	वसूली हेतु उपलब्ध बकाया ³	62.82
6.	बंद व्यवसाय में अंतर्निहित राशि जिन मामलों में चूककर्ता/संपत्ति की तलाश की जा रही है।	106.71
7.	चल सम्पत्ति की कुर्की में अंतर्निहित राशि	0.62
8.	अचल सम्पत्ति की कुर्की में अंतर्निहित राशि	90.60
9.	अपलेखन हेतु प्रतीक्षित राशि	11.51
10.	बीमार इकाइयों या बी.आई.एफ.आर. में अंतर्निहित राशि	105.80
योग		529.80

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता कि ऐसी बकाया राशि जिसमें आर.आर.सी. जारी किये जा चुके हैं, जिन मामलों में चूककर्ता/संपत्ति की तलाश की जा रही है, चल, अचल सम्पत्तियों की कुर्की में अंतर्निहित राशि के मामले एवं वसूली के लिए उपलब्ध बकाया मिलकर कुल राशि ₹ 277.94 करोड़ (कुल बकाया राशि का 52.46 प्रतिशत) है। इस प्रकार कुल बकाया का 52.46 प्रतिशत विभागीय स्तर पर लम्बित है।

2.10.6.3 विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2011 को राजस्व के बकाया का अवरथावार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

(₹ करोड़ में)

बकाया की आवधिकता	प्रकरणों की संख्या	राशि	बकाया का प्रतिशत
10 वर्ष से अधिक समय से बकाया	86,942	175.06	32.95
5 से 10 वर्ष तक बकाया	83,939	113.40	21.35
2 से 5 वर्ष तक बकाया	75,548	100.23	18.87
1 से 2 वर्ष तक बकाया	58,712	62.07	11.69
1 वर्ष से कम समय से बकाया	1,13,124	80.40	15.14
योग	4,18,265	531.16⁴	

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, 1,70,881 प्रकरणों से सम्बंधित बकाया की राशि ₹ 288.46 करोड़ (कुल राशि का 54.44 प्रतिशत) पांच वर्षों से अधिक समय से वसूली हेतु लम्बित थी।

पांच वर्षों से अधिक पुराने प्रकरणों के सम्बंध में विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई अपेक्षित है जिससे उक्त बकाया राशि को समय व्यतीत हो जाने के कारण वसूल नहीं हो पाने के जोखिम से रोका जा सके।

³ यह बकाया वृत्त के अन्दर वसूली योग्य थे तथा वाद/अपील से मुक्त थे।

⁴ वर्ष 2010-11 के अन्त में अंत शेष के रूप में दी गई बकाया की जानकारी कुल बकाया राशि से भिन्न थी। हमारे द्वारा अनुरोध के बावजूद, विभाग ने गिन्नता के कारणों से अवगत नहीं कराया (सितम्बर 2012)।

2.10.6.4 लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने विशेष अभियानों के माध्यम से बकाया की वसूली के लक्ष्य निर्धारित किये गये तथा समय-समय पर अक्टूबर 2006 एवं अक्टूबर 2010 में इस सम्बंध में अनुदेश जारी किये। इन अनुदेशों के अनुसार, बकाया के अन्त शेष को उसी वर्ष के बकाया के पूर्व शेष से कम होना चाहिए। बकाया के प्रारंभिक शेष में उक्त कमी के सम्बंध में वर्ष 2006-07 हेतु 33 प्रतिशत, वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 हेतु 35 प्रतिशत एवं वर्ष 2010-11 हेतु 10 प्रतिशत का विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया लेकिन वर्ष 2009-10 के लिए प्रारम्भिक शेष में कमी से सम्बन्धित कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। वर्ष 2007-08 से 2010-11 हेतु लागू अनुदेशों में तीन तथ्य समान थे अर्थात् गत वर्ष के प्रारम्भ में लंबित बकाया में से 20 प्रतिशत, गत वर्ष में सृजित बकाया का 80 प्रतिशत एवं चालू वर्ष के बकाया का 100 प्रतिशत वसूल किया जाना चाहिये। इस सम्बंध में विभाग द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अन्त शेष	अन्तर (+) वृद्धि/(-) कमी	लक्ष्य प्रतिशत जिसके द्वारा अन्त शेष को पूर्व शेष से कम होना चाहिए	लक्ष्य प्राप्ति प्रतिशत में(2) से (4) का
1	2	3	4	5	6
2006-07	759.30	584.25	(-) 175.05	33	23.05
2007-08	584.25	571.45	(-) 12.80	35	2.19
2008-09	571.45	546.04	(-) 25.41	35	4.45
2009-10	546.04	586.95	(+) 40.91	--
2010-11	586.95	529.80	(-) 57.15	10	9.74

(स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अवधि 2006-07 से 2008-09 में विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये गये। वर्ष 2009-10 में बकाया में 2008-09 की तुलना में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विभाग ने दिसम्बर 2012 में बताया कि म.प्र. वेट अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में विभागीय अधिकारियों एवं निरीक्षकों द्वारा बकाया वसूली कार्य के अलावा राजस्व संग्रहण, प्रशासनिक कार्य, कर निर्धारण, सर्वेक्षण कार्य एवं समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य भी किये जाते हैं। विभागीय कर्मचारी जनगणना, चुनाव कार्य एवं अन्य शासकीय योजनाओं के सर्वेक्षण कार्य में भी लगे रहते हैं।

प्रणालीगत एवं अनुपालन सम्बंधी कमियां

2.10.7 पृथक वसूली तंत्र का अभाव

अधिनियम/म.प्र. वैट अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर अधिकारी/अपर वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, बकाया की वसूली हेतु उत्तरदायी हैं। वाणिज्यिक कर अधिकारियों, अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारियों तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा वसूली कार्य के अलावा राजस्व संग्रहण, कर निर्धारण एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये तत्सम्बंधी कार्य भी किये जाते हैं। बढ़ती हुई बकाया राशि की वसूली हेतु वाणिज्यिक कर विभाग में पृथक वसूली कक्ष या वसूली तंत्र के अभाव में वसूली हेतु कार्रवाई प्रारम्भ करने में असाधारण विलम्ब हुआ, जैसा कि आगे कंडिका क्रमांक 2.10.9 में उल्लेख किया गया है।

शासन को बकाया की वसूली पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु एक समर्पित वसूली तंत्र की स्थापना पर विचार करना चाहिए।

2.10.8 निर्धारित पंजियों का संधारण नहीं किया जाना/अनियमित रखरखाव

विक्रय कर मैनुअल, खंड II (मैनुअल) के भाग-एक के अंतर्गत निर्धारित अनुलग्नक II एवं III में दिये गये प्रपत्र में प्रत्येक कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रमशः संस्थापित प्रकरणों की पंजी एवं कर निर्धारण प्रकरणों की निराकरण पंजी संधारित की जानी अपेक्षित है। संस्थापित प्रकरणों, कर निर्धारण प्रकरणों के निराकरण एवं राजस्व बकाया इत्यादि की वसूली पर समुचित निगरानी हेतु इन पंजियों का संधारण आवश्यक है। पुनः प्रत्येक कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा इन पंजियों के आधार पर प्रत्येक माह के दौरान संस्थापित प्रकरणों, प्रकरणों के कर निर्धारण, मांग, संग्रहण एवं बकाया राशि की जानकारी देने वाली एक टेबल डायरी तैयार कर अपने निकटतम उच्चतर प्राधिकारी को आगामी माह की 10 तारीख के पूर्व प्रेषित की जानी चाहिये।

30 चयनित वृत्तों में पाया गया कि संस्थापित प्रकरणों की पंजी एवं कर निर्धारण प्रकरणों की निराकरण पंजी की नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि किसी भी वृत्त में पंजियाँ निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं की जा रही थीं। पुनः 18 वृत्तों में हमने देखा कि 716 प्रकरणों में मांग पत्र जारी दिनांक, मांग पत्र तामील दिनांक, आर.आर. सी. संख्या एवं आर.आर. सी. जारी दिनांक एवं

आर.आर.सी. मांग पत्र जारी दिनांक तथा आर.आर.सी. मांग पत्र तामील दिनांक इत्यादि के लिए 716 प्रकरणों में निर्धारित कॉलम रिक्त पाये गये। विवरण आगामी तालिका में दिया गया है :

स. क्र.	वृत्त/संभाग	व्यवसाइयों की संख्या	नहीं भरेगये कालम				
			मांग पत्र जारी दिनांक	मांग पत्र तामील दिनांक	आर.आर.सी. संख्या एवं आर.आर.सी. जारी दिनांक	आर.आर.सी. मांग पत्र जारी दिनांक	आर.आर.सी. मांग पत्र तामील दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	वा.क.अ., वृत्त XI, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	29	14	18	11	13	24
2	वा.क.अ., वृत्त XII, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	29	29	29	29	29	29
3	वा.क.अ., वृत्त XIV, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	39	02	39	18	39	39
4	वा.क.अ., वृत्त III, इन्दौर/ संभाग II इन्दौर	20	17	20	14	20	20
5	वा.क.अ., वृत्त VI, इन्दौर/ संभाग II इन्दौर	17	-	17	-	17	17
6	वा.क.अ., वृत्त I, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	31	02	31	10	31	31
7	वा.क.अ., वृत्त II, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	51	51	51	16	51	51
8	वा.क.अ., वृत्त V, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	47	47	47	02	47	47
9	वा.क.अ., वृत्त XIII, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	54	-	-	-	18	21
10	वा.क.अ., वृत्त IX, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	48	48	48	29	48	48
11	वा.क.अ., वृत्त VIII, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	36	36	36	36	36	36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	वा.क.अ., वृत्त XV, इन्दौर/ संभाग I इन्दौर	86	-	86	19	78	78
13	वा.क.अ., वृत्त VII, इन्दौर/ संभाग III इन्दौर	42	-	06	-	12	12
14	वा.क.अ., वृत्त IV, इन्दौर/ संभाग II इन्दौर	41	-	07	01	06	28
15	वा.क.अ., वृत्त I, ग्वालियर/ संभाग I ग्वालियर	10	01	10	09	10	10
16	वा.क.अ., वृत्त III, ग्वालियर/ संभाग I ग्वालियर	64	-	15	35	35	46
17	वा.क.अ., वृत्त IV, ग्वालियर/ संभाग I ग्वालियर	33	06	27	10	10	33
18	वा.क.अ., वृत्त II, ग्वालियर/ संभाग I ग्वालियर	39	10	39	05	05	39
योग		716	263	526	244	505	609

(स्रोत: लेखापरीक्षा में वृत्तों के कर निर्धारण प्रकरणों की निराकरण पंजी से संकलित जानकारी)

पंजियों का संधारण/अद्यतन नहीं किये जाने से प्रभावी परिवीक्षण का अभाव तथा वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब परिलक्षित होता है जिससे राजस्व बकाया की वसूली प्रभावित हुई ।

2.10.9 वसूली कार्यवाही प्रारम्भ करने में विलम्ब

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मांग पत्र तामील होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर व्यवसायी द्वारा निर्धारित कर जमा किया जाना अपेक्षित है। जिसमें विफल रहने पर राशि को भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जाना चाहिए। पुनः आयुक्त वाणिज्यिक कर के नवम्बर 1992 के परिपत्र के अनुसार यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो पत्र की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर आर.आर.सी संस्थापित की जा सकती है।

वाचक अनुभाग के वाचक द्वारा कर निर्धारण/आर.आर.सी. के मांग पत्र तीन दिवस के अन्दर तैयार कर प्रोसेस सर्वर अनुभाग को इसके तामील हेतु भेजा जाना चाहिए, पुनः ऐसे मांग पत्रों को प्राप्ति के सात दिवस के अन्दर व्यवसायी के पते पर तामील कराया जाना चाहिए।

पूर्व कंडिका में वर्णित 716 प्रकरणों में से लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 457 प्रकरणों की नमूना जाँच के दौरान हमने देखा कि 38 प्रकरणों में जिनमें ₹ 2.86 करोड़ की बकाया राशि अंतर्निहित थी, में मांग पत्रों के जारी नहीं किये जाने/विलम्ब से जारी किये जाने/मांग पत्रों के तामील में विलम्ब या आर.आर.सी. के जारी होने/संस्थापन में विलम्ब के कारण वसूली की कार्यवाही चार वर्षों

तक विलम्बित हुई। कुछ उदाहरात्मक प्रकरणों का उल्लेख नीचे किया गया है:

स. क्र.	वृत्त/संभाग का नाम	कर निर्धारण की अवधि (प्रकरण संख्या)/कर निर्धारण दिनांक	व्यवसायी/ राशि (₹लाख में)	मांग पत्र जारी/ तामील दिनांक	दिनांक जिस पर आर.आर.सी. संस्थापित किया जाना चाहिए था/दिनांक जिस पर आर.आर.सी. जारी या संस्थापित की गई	मांग पत्र (आर.आर.सी.) जारी/तामील दिनांक	अभियुक्ति- प्रक्रिया जिसमें विलम्ब हुआ: 1. कर निर्धारण पश्चात मांग पत्र जारी करना 2. कर निर्धारण पश्चात जारी मांग पत्र तामील करना 3. आर.आर.सी. का निर्गम/संस्थापन किया जाना 4. आर.आर.सी. संस्थापनके पश्चात मांग पत्र जारी किया जाना 5. आर.आर.सी. संस्थापन के पश्चात मांग पत्र तामील किया जाना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	वृत्त XI/ संभाग II, इन्दौर	2000-01 (40/01)/ 19.01.07	मेसर्स आदर आर्सीजन प्राइवेट लिमिटेड/ 1.87	19.01.07/ 03.07.07	02.09.07/ 08.08.07	15.02.12/ 16.02.12	2 - पांच माह सात दिन 4 - बार साल छ माह बार दिन
2	वृत्त IV/ संभाग I ग्वालियर	2007-08 (584/08)/ 26.07.10	मेसर्स सागर इम्प्टरप्राइजेज/ 10.32	31.07.10/ 07.08.10 (तिथि उपलब्ध नहीं, किन्तु बकाया)	07.09.10/ 14.10.10/	17.10.10 (तिथि उपलब्ध नहीं, किन्तु 30.07.11 से बकाया)	1 - जो दिन 3 - एक माह सात दिन 5 - नौ माह छ दिन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	वृत्त IV/संभाग I ग्वालियर	2003-04 (642/07 R)/ 29.12.09	मेसर्स जोगटेक वेरीकरल्ल/3.41	01.01.10 (लिथि उपलब्ध नहीं, किन्तु लम्बित) 28.02.10	02.05.10/ 30.08.10	30.07.11/ 14.09.11	2 - एक माह बीस दिन से 3 - तीन माह अद्यतित दिन 4 - 10 माह सत्ता इस दिन से 5 - एक माह पत्र दिन से
4	वृत्त III/संभाग I ग्वालियर	2006-07 (288/07)/ 27.06.09	मेसर्स अयनाल रेडिंग कम्पनी/15.63	27.06.09/ 20.08.09	20.10.09/ 19.07.10	02.04.11/ 25.04.11	2 - एक माह 16 दिन से 3 - आठ माह 29 दिन से 4 - आठ माह 11 दिन से 5 - 16 दिन से
5	वृत्त III/संभाग I ग्वालियर	2006-07 (238/07)/ 27.06.09	मेसर्स पूजा ट्रेडिंग कम्पनी/39.14	27.06.09/ 04.09.09	04.11.09/ 19.07.10	02.04.11/ 26.04.11	2 - दो माह से 3 - आठ माह 15 दिन से 4 - आठ माह 11 दिन से 5 - 17 दिन से
6	वृत्त III/संभाग I ग्वालियर	2002-03 (28/07 R)/ 03.12.09	मेसर्स सुपर फूड/21.48	07.12.09/ 21.06.10	21.08.10/ 28.06.10	15.03.11/ 29.03.11	2 - छः माह सात दिन से 4 - सात माह 20 दिन से 5 - सात दिन से

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर वृत्त चार संभाग – 1 ग्वालियर के कर निर्धारण प्राधिकारी ने जून 2012 में बताया कि अधिकतर कर्मचारियों के जनगणना एवं अन्य सम्बंधित कार्यों में संलग्न रहने के कारण अभिलेखों में जानकारियों के अद्यतन कराये जाने का कार्य नहीं कराया जा सका, जिसे करा लिया जायेगा। ग्वालियर के वृत्त I एवं II के कर निर्धारण प्राधिकारियों ने पुनः दिसम्बर 2012 में अवगत कराया कि लेखापरीक्षा द्वारा मुद्दा उठाये जाने के पश्चात एक प्रकरण में आर.आर.सी. संस्थापित कर दी गई है और बचे हुए प्रकरणों में माह जून एवं दिसम्बर 2012 के मध्य आर.आर.सी. संस्थापन करने के पश्चात मांग पत्र जारी कर तामील कर दी गई है। शेष कर निर्धारण प्राधिकारियों ने जून 2012 में बताया कि अभिलेखों में जानकारियों को अद्यतन कर वसूली की कार्यवाही की जायेगी। तत्पश्चात इस प्रकरण में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.10 राज्य के अन्दर अन्य वृत्तों को प्रेषित किये गये राजस्व वसूली प्रकरणों का अनुशीलन नहीं किया जाना

जब चूककर्ता की सम्पत्ति, चूककर्ता के वृत्त के क्षेत्राधिकार में न होकर किसी अन्य वृत्त के क्षेत्राधिकार में होती है, तो चूककर्ता के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उस वृत्त, जिसमें चूककर्ता की सम्पत्ति अवस्थित है, के राजस्व प्राधिकारी को राजस्व वसूली (आर.आर.) अधिनियम 1890 के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया की वसूली हेतु निवेदन करना चाहिए। इस हेतु राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों (आर.आर.सी.) को चूककर्ता की सम्पत्ति जहाँ स्थित है वहाँ के राज्य के जिलों के कलेक्टरों को अप्रेषित करना आवश्यक है।

चयनित संभागों के 110 व्यवसायों की वसूली फाइलों की नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि विभाग द्वारा तीन संभागों के 13 व्यवसायों के प्रकरणों में विभाग द्वारा राज्य के अंदर अन्य वृत्त के राजस्व प्राधिकारियों को ₹ 5.48 करोड़ के बकाया की वसूली

भू-राजस्व के बकाया की भांति हेतु माह जनवरी 99 एवं मार्च 11 के मध्य आर.आर.सी. संप्रेषित की गई थी। तथापि, इसके बाद संबंधित प्राधिकारियों के साथ इन प्रकरणों का अनुसरण नहीं किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली प्रकरणों का अनुसरण नहीं किये जाने के कारण निम्नानुसार तालिका में दर्शाये 13 प्रकरणों में कुल राशि ₹ 5.48 करोड़ की वसूली नहीं हो सकी :

स.क्र.	व्यवसायी का विवरण	बकाया की अवधि	बकाया की राशि (₹ लाख में)	वृत्त/संभाग जहां से आर.आर.सी. प्रेषित की गई	वृत्त जहां आर.आर.सी. भेजी गई	प्रेषित किये जाने की तिथि से स्मरण पत्र की तिथि	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1.	मेसर्स सटल कल्या एण्ड केमिकल्स	1992-93, 1997-2002	11.11	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III इन्दौर	राजगढ़/उपायुक्त, वा.कर, उज्जैन	04.07.2006/निरंक	अन्य वृत्तों को आर.आर.सी. प्रेषित किये जाने के बाद प्रकरणों के अनुसरण के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
2.	मेसर्स माया रिपनर्स लिमिटेड	1997-99, 2000-03	194.59	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III, इन्दौर	खण्डवा संभाग	19.01.2006/निरंक	
3.	मेसर्स स्टारलिंग कुक शेड ब्रिक्स लिमिटेड	1993-95	4.55	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III इन्दौर	खरगौन/उपायुक्त, वा.कर, खण्डवा	22.09.2004/निरंक	
4.	मेसर्स स्टारलिंग स्ट्रक्चर लिमिटेड	1996-97	0.53	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III इन्दौर	धार वृत्त - 1	24.09.2001/निरंक	
5.	मेसर्स महावीर एगो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड	1989-94,	23.03	वा.क.अ., वृत्त IX/संभाग III इन्दौर	उपायुक्त, वा.कर, उज्जैन/देवास वृत्त	10.11.2006/निरंक	
6.	मेसर्स जे.डी. इन्टरप्राइजेज, इन्दौर	2002-03	14.53	वा.क.अ., वृत्त I/संभाग I इन्दौर	उनायुक्त, वा.कर, उज्जैन	28.10.2005/निरंक	
7.	मेसर्स दधीवि टिम्बर सन्लायर्स, इन्दौर	1995-99	93.83	वा.क.अ., वृत्त I/संभाग I इन्दौर	उपायुक्त, वा.कर, रतलाम	16.10.2001/27.08.2004	स्मरण पत्र जारी किये जाने के पश्चात प्रकरणों के अनुसरण के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।
8.	मेसर्स वर्मा टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1989-93	0.07	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	16.02.2011/17.03.2011	
9.	मेसर्स एस.के.टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1988-93	73.79	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	16.02.2011/17.03.2011	
10.	मेसर्स एस.के.टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1988-93	0.62	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	23.03.2007/17.03.2011	
11.	मेसर्स एस.के.टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1988-93	0.03	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	23.03.2007/17.03.2011	
12.	मेसर्स एस.के.टायर एण्ड ट्यूब, भोपाल	1988-93	0.04	वा.क.अ., वृत्त V/संभाग I भोपाल	बैतूल	23.03.2007/17.03.2011	
13.	मेसर्स ऊर्जा केबल्स एण्ड मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	1998-99	130.99	वा.क.अ., वृत्त I/संभाग I भोपाल	मण्डीदीप एवं विदिशा	मार्च 2012	
योग			547.71				

हमारे द्वारा मामले इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जून एवं जुलाई 2012 में बताया गया कि वसूली हेतु स्मरण पत्र जारी किये जायेंगे, पुनः इस मामले में कोई प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.11 अन्य राज्यों को प्रेषित किये गये राजस्व वसूली प्रकरणों का अनुशीलन नहीं किया जाना

जब चूककर्ता की सम्पत्ति इस राज्य में स्थित न होकर किसी अन्य राज्य में स्थित होती है तो चूककर्ता के कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उस राज्य के, जिसमें चूककर्ता की सम्पत्ति अवस्थित है, राजस्व प्राधिकारी को राजस्व वसूली, अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया की वसूली हेतु निवेदन करना चाहिए। इस हेतु राज्य के उन जिलों के, जिनमें चूककर्ता की सम्पत्ति है, कलेक्टर को आर.आर.सी. प्रेषित की जानी अपेक्षित है। आगे, आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अन्य राज्यों को प्रेषित आर.आर.सी. के अनुशीलन हेतु विभिन्न वाणिज्यिक कर अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामांकित किया गया था (जुलाई 2011)।

चयनित संभागों के 191 व्यवसायों की वसूली नस्तियों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि तीन संभागों⁵ के 29 व्यवसायों के 31 प्रकरणों में बकाया राजस्व की वसूली भू-राजस्व के बकाया की वसूली की भांति किये जाने हेतु अन्य राज्यों के राजस्व प्राधिकारियों को विभाग द्वारा नवम्बर 1996 एवं जनवरी 2010 के मध्य आर.आर.सी. प्रेषित की गई

थी। तथापि, इन प्रकरणों पर अनुवर्तन कार्यवाही नहीं हुई। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा आर.आर.सी. अनुशीलन न किये जाने के कारण परिशिष्ट-1 में दर्शाये अनुसार ₹ 28.44 करोड़ के बकाया की वसूली नहीं हो सकी।

प्रकरणों को इंगित किये जाने के पश्चात सम्बंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों ने जून एवं जुलाई 2012 में बताया कि स्मरण पत्र जारी किये जायेंगे/आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इन प्रकरणों के बारे में आगे प्रगति के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

दूसरे राज्य के अपने समकक्षों जिन्हें आर.आर.सी. प्रेषित की गई है के साथ नियमित समन्वय किये जाने से सम्बंधित प्रणाली विकसित करने पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है।

⁵ भोपाल संभाग I, इन्दौर संभाग II एवं इन्दौर संभाग III.

2.10.12 शासकीय परिशोधक के समक्ष दावा प्रस्तुत नहीं किया जाना/प्रस्तुत दावे का अनुसरण नहीं किया जाना

कम्पनी अधिनियम की धारा 448 के अन्तर्गत शासकीय परिशोधक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। शासकीय परिशोधक का प्राथमिक कार्य परिसमापन/विघटन होने वाली कम्पनी के सारी परिसम्पत्तियों को विक्रय कर एवं अन्य प्राप्तियों को प्राप्त कर कम्पनी के समस्त देनदारियों का समाशोधन करना एवं बची हुई राशि को विघटित हुई कम्पनी के अंशधारकों के मध्य वितरित कर कम्पनी का विघटन/परिसमापन करना है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 530 (आई)(ए) के अनुसार कम्पनी द्वारा केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय प्राधिकारियों को देय राजस्व एवं कर इत्यादि, जो नियत दिनांक के 12 माह के अन्दर भुगतान हेतु देय हो, के भुगतान को प्राथमिकता दी जायेगी।

संभाग III इन्दौर के वृत्त IX की वसूली नस्तियों की (जून 2012) नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि निम्नलिखित तीन प्रकरणों में ₹ 1.50 करोड़ की राशि बकाया थी :

स.क्र.	व्यवसायी	बी.आई.एफ.आर. का प्रकरण क्रमांक	अवधि	बकाया (₹ लाख में)
1.	मेसर्स एच.एम.पी. इन्जीनियरिंग, इन्दौर	164/1998	1992-93 से 1996-97	62.25
2.	मेसर्स धोरज पोलिपैक प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर	39/1996 एवं 2104/2004	1992-93 से 1998-99	44.38
3.	मेसर्स मोदी स्टोन लिमिटेड, इन्दौर	32/1998	1995-96 से 1998-99	43.26
योग				149.89

उपर्युक्त वर्णित सभी प्रकरण बोर्ड फार इण्डस्ट्रियल एण्ड फाइनेन्सियल रिकन्स्ट्रक्शन (बी.आई.एफ.आर.) के अन्तर्गत पंजीकृत थे, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर बेंच ने उक्त प्रकरणों में शासकीय परिशोधक नियुक्त किया था। दिसम्बर 2008 में आयुक्त वाणिज्यिक कर ने निर्धारित तरीके से शासकीय परिशोधक के समक्ष उक्त कम्पनियों से सम्बंधित दावा प्रस्तुत करने हेतु संभागीय कार्यालय को निर्देशित किया था, जिसे लेखापरीक्षण तिथि (जून 2012) तक प्रस्तुत नहीं किया गया था। विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही न किये जाने के कारण ₹ 1.50 करोड़ के बकाया की वसूली नहीं हो सकी।

2.10.13 कुर्की⁶ आदेश का जारी नहीं किया जाना

विभागीय निर्देश (नवम्बर 1992) के अनुसार आर.आर.सी. संस्थापन के पश्चात जारी मांग पत्र की सूचना के अनुपालन में यदि कोई व्यवसायी बकाया राशि को जमा कराने में असफल रहता है तो चल सम्पत्तियों के मामले में सात दिन एवं अचल सम्पत्तियों के मामले में 15 दिनों के पश्चात कुर्की आदेश जारी किया जाना अपेक्षित है।

भोपाल संभाग I के वृत्त I एवं वृत्त II एवं जबलपुर संभाग I के वृत्त I, कटनी की वसूली नस्तियों की जुलाई एवं अगस्त 2012 में किये गये नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि छः प्रकरणों में जून 2007 एवं अक्टूबर 2011 के मध्य आर.आर.सी. संस्थापन के पश्चात या मांग पत्र जारी होने के पश्चात विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की

गई। विभाग द्वारा सम्पत्ति जब्त करने और जब्त सम्पत्ति को नीलाम कर वसूली किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई। इसके फलस्वरूप निम्नानुसार ₹ 62.12 लाख के बकाया की वसूली नहीं हो सकी :

स.क्र.	वृत्त/ संभाग	व्यवसायी का नाम	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	बकाया की राशि (₹ लाख में)	आर.आर.सी. मांग पत्र जारी होने की तारीख	कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वृत्त I/ संभाग I भोपाल	मेसर्स अमर दाल मिल	2005-06/ उपलब्ध नहीं	1.14	21.09.11	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अक्टूबर 2012 एवं दिसम्बर 2012 के मध्य कुर्की आदेश जारी किया गया।
2	वृत्त I/ संभाग I भोपाल	मेसर्स लीजेन्ड मार्केटिंग	2006-07/ 27.06.09	2.14	09.08.11	
3	वृत्त I/ संभाग I भोपाल	मेसर्स के.के. एम. सोल्स	2008-09/ 20.05.11	3.37	27.08.11	
4	वृत्त I/ संभाग I भोपाल	मेसर्स बेट्टी पावर प्वाइंट	2008-09/ 05.05.11	1.34	01.10.11	
5	वृत्त II/ संभाग I भोपाल	मेसर्स देव ज्योति सिडिकेट	2003-05 एवं 2006,07 जनवरी 2008 से जून 2009	17.56	जून 2007 से जनवरी 2011	

⁶ सम्पत्ति जब्त करने का एक आदेश।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	वृत्त I कटनी/सं भाग II जबलपुर	मेसर्स बेबर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	2007-08/ दिसम्बर 2008	36.57	04.03.11	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि व्यवसायी की अचल सम्पत्ति पता लगाने हेतु वाणिज्यिक कर निरीक्षक को निर्देशित किया गया है जो प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी बताया गया कि व्यवसायी के स्थाई पता के आधार पर आर.आर.सी. जयपुर (राजस्थान) भेजने की कार्यवाही की जा रही है।
योग				62.12		

प्रकरण में आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.14 कुर्क की गई सम्पत्ति के नीलामी में विलम्ब के कारण निर्धारित कर के बकाया की वसूली नहीं होना।

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय राशि का भुगतान हेतु विहित अवधि के अवसान पर भी यदि बकाया रहती है तो मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के अनुसार चूककर्ता की चल या अचल अचल सम्पत्ति के कुर्क एवं विक्रय कर की जानी चाहिए।

चयनित संभागों की वसूली नस्त्रियों की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया कि (जून 2012 एवं जुलाई 2012) कुर्क की गई सम्पत्ति के नीलामी में विलम्ब के कारण चार संभागों⁷ के सात वृत्तों⁸ के 12 प्रकरणों में कर निर्धारण की बकाया राशि ₹ 7.11 करोड़ की वसूली नहीं हो

सकी। कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण निम्नानुसार है :

⁷ संभाग I भोपाल, संभाग I ग्वालियर, संभाग I इन्दौर, संभाग III इन्दौर।

⁸ वृत्त-I भोपाल, वृत्त-V भोपाल, वृत्त-II एवं वृत्त- III, ग्वालियर, वृत्त-IX इन्दौर, वृत्त-XIII इन्दौर एवं वृत्त-XV इन्दौर।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष

स.क्र.	वृत्त/संभाग लेखापरीक्षा का महीना	व्यवसायी का नाम	बकाया की राशि (₹ लाख में)	बकाया की अवधि/कर निर्धारण दिनांक	लेखापरीक्षा प्रेक्षण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वृत्त LX, इन्दौर, संभाग III जून 2012	मेसर्स पालील्यू व	256.95	1992-93 और 2000-01 के बीच/नस्ती में उपलब्ध नहीं	चूंकि व्यवसायी ने बकाया का भुगतान नहीं किया था विभाग ने मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत बकाया की वसूली की कार्यवाही जनवरी 2004 में अचल सम्पत्ति को जब करने हेतु कुर्की आदेश जारी कर शुरु की। वसूली नस्ती से हमें विदित हुआ कि कर निर्धारण प्राधिकारी ने जनवरी 2005 में वाणिज्यिक कर निरीक्षक को सम्पत्ति का मूल्यांकन कराने हेतु निर्देशित किया। मूल्यांकन का कार्य नवम्बर 2006 में संपादित हुआ जिसमें सम्पत्ति का मूल्य ₹ 4.56 लाख प्रकलित हुआ, सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही 14.12.2006 को की गई जिसमें अधिकतम निविदा ₹ 3.81 लाख की प्राप्त हुई जिसे स्वीकार नहीं किया गया उसके बाद विभाग द्वारा दिसम्बर 2009 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जब कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर निरीक्षक को सम्पत्ति का मूल्यांकन कराये जाने हेतु पुनः आदेशित किया। आगे, नस्ती में प्रकरण से सम्बंधित कोई सूचना संधारित नहीं पायी गयी एवं बकाया की वसूली नहीं की जा सकी।
हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर (जून 2012) कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2012) की जब की गई सम्पत्ति का मूल्यांकन शासकीय मूल्यांकन कर्ता द्वारा किया जा रहा है एवं व्यवसायी की पंजीयन नस्ती आर्थिक अनराध शाखा इन्दौर के पास होने के कारण व्यवसायी के अन्य सम्पत्तियों का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है तथापि अन्य परिसम्पत्तियों का विवरण म्यूनिसिपल कार्पोरेशन/पंजीयन विभाग में खोजा जा रहा है। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।					
2.	वृत्त XIII, इन्दौर, संभाग III/ जुलाई 2012	मेसर्स नटराज कोल्ड स्टोरेज एवं फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	168.71	2006-07 से 2009-10 में तक/नस्ती में उपलब्ध नहीं	व्यवसायी के पास अवधि 2006-07 से सम्बंधित कर राशि ₹ 60.90 लाख बकाया था। व्यवसायी द्वारा बकाया का भुगतान नहीं किये जाने के कारण फरवरी 2010 में व्यवसायी के व्यवसाय परिसर (कोल्ड स्टोरेज एवं भूमि) को जब किये जाने के लिए कुर्की आदेश जारी किये गये लेकिन कुर्की की गई सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही (सितम्बर 2010) नहीं की गई। विभाग द्वारा अवधि 2007-08 की बकाया राशि शामिल करते हुए 2007-08 से 2009-10 की अवधि के निर्धारणों से संबंधित ₹ 1.69 करोड़ की स्मेकित मांग सृजित की गई। अगस्त 2011 में विभाग ने मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता से सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त किया। मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार, अनुमानित वसूली योग्य मूल्य ₹ 11 करोड़ था। फरवरी 2012 में आरक्षित मूल्य ₹ 12.10 करोड़ रखते हुए नीलामी की कार्यवाही जिसमें अधिकतम निविदा ₹ 7 करोड़ की प्राप्त हुई जिसे आरक्षित मूल्य से कम होने के कारण विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निविदा अस्वीकार्य करने के पूर्व आयुक्त वाणिज्यिक कर से अनुमति नहीं ली गई, मार्च 2012 में नीलामी के प्रयास किये जाने के बाद भी नीलामी की कार्यवाही नहीं की जा सकी, मार्च 2012 के बाद विभाग द्वारा सम्पत्ति की नीलामी की कोई कार्यवाही नहीं की गई। मूल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शित मूल्य से अधिक का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने में जिला पंजीयक की सलाह नहीं लेने के सम्बंध में अभिलेखों में कोई जानकारी संधारित नहीं पायी गई, कुर्की की गई सम्पत्ति की नीलामी नहीं किये जाने के कारण राशि ₹ 1.69 करोड़ के शासकीय बकाया की वसूली नहीं हो सकी।
प्रकरण इंगित किये जाने के बाद करानान प्राधिकारी ने जुलाई 2012 में बताया कि कार्यवाही चल रही थी। प्रकरण में आगामी प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	वृत्त III, ग्वालियर, संभाग I/ जून 2012	मेसर्स तिरुगति केम्प्लेक्स	61.82	1996-97 से 1998-99/ नस्ती में उपलब्ध नहीं	हमने जून 2012 में यह पाया कि व्यवसायी पर वर्ष 1997-98 अवधि हेतु निर्धारित कर की ₹ 26.14 लाख की राशि बकाया थी। फरवरी 2002 में देय राशियों की वसूली के लिए अवल सम्पत्ति (फैक्ट्री बिल्डिंग प्लान्ट एवं मशीनरी) कुर्क करने का आदेश हुआ था। विभाग ने (अक्टूबर 2005) उपरोक्त राशियों का समावेश करके 1996-97 से 1998-99 की अवधियों हेतु देय राशि ₹ 61.82 लाख का मांग पत्र कलेक्टर कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) को भेजा तथा अक्टूबर 2009 में इसका अनुस्मारक भी भेजा गया। तथापि फरवरी 2002 में कुर्क सम्पत्ति के नीलाम करने की कार्यवाही दिसम्बर 2011 तक नहीं की गई। फाइल की आगे जाँच में दृष्टिगत हुआ कि एक सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को फरवरी 2002 में कुर्क की गयी सम्पत्ति की स्थिति ज्ञात करने के लिए विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था (जनवरी 2012)। स्थिति प्रतिवेदन (फरवरी 2012) के अनुसार मोकें पर केवल फैक्ट्री बिल्डिंग के अवशेष पाये गये और प्लान्ट एवं मशीनरी का कोई अतापता नहीं था। स्थिति प्रतिवेदन में यह भी वर्णित था कि फैक्ट्री के पड़ोस के निवासियों के कथनानुसार प्लान्ट एवं मशीनरी हटा ले जाने के बाद फैक्ट्री बिल्डिंग तोड़ दी गयी थी। व्यवसाई की सम्पत्ति इस राज्य में स्थित होने के बावजूद राज्य के बाहर मामला सन्दर्भित किया जाना अनपेक्षित था जिसके कारण वसूली नहीं हो सकी। इस प्रकार विभाग प्रकरण - अनुसरण में विफल रहा जिसके कारण ₹ 61.82 लाख की देय बकाया राशि वसूल नहीं हुई।
हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने के बाद (जून 2012) कराधान प्राधिकारियों ने दिसम्बर 2012 में बताया कि भूमि वास्तव में इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड मध्य प्रदेश (ग्वालियर) से सम्बंधित थी जिसका अधिपत्य उन्हेने व्यवसायी से 31.08.2012 में वापस प्राप्त कर लिया है। कराधान प्राधिकारी ने आगे बताया कि व्यवसायी के कलकत्ता वाले पते पर पत्राचार के बाद व्यवसायी का वकील दिनांक 17.12.2012 में उपस्थित हुआ तथा बकाया की वसूली शीघ्र कर ली जायेगी।					
4.	वृत्त IX, इन्दौर, संभाग III/ जून 2012	मेसर्स कोवा स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्दौर	85.79	1989-90 और 1999-2000 के बीच/नस्ती में उपलब्ध नहीं	हमने यह पाया कि व्यवसायी को उसका पंजीयन निरस्त किये जाने के सम्बंध में करण बताओं सूचना जारी की गई थी। कारण बताओ सूचना पत्र के अनुसार इकाई पर 1990-92 एवं 1995-2000 की अवधि का ₹ 85.79 लाख बकाया था। तथापि हमने पाया कि अगस्त 2005 में जारी कुर्क वारंट में बकाया की राशि ₹ 12.08 लाख की उल्लिखित थी। आगे, अवधि नवम्बर 2005 से मार्च 2006 के दौरान विभाग द्वारा पांच बार नीलामी के प्रयास किये गये लेकिन कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई, मार्च 2006 से जुलाई 2010 के बीच नीलामी की कार्यवाही उच्च न्यायालय, इन्दौर पीठ के एक आदेश के तहत नहीं की गई लेकिन पाया गया कि विभाग उस प्रकरण में पक्षकार नहीं था, अगस्त 2010 से अक्टूबर 2011 के मध्य विभाग ने कुर्क सम्पत्ति के नीलामी के चार बार प्रयास किये गये। इस प्रकार विभाग ने उस आदेश के आधार पर वसूली की कार्यवाही नहीं की जो आदेश उस पर लागू ही नहीं था। नस्ती में हमने यह भी पाया कि उपयुक्त समस्त अवधि में आरक्षित मूल्य निर्धारित करने हेतु सम्पत्ति का मूल्यांकन नहीं कराया गया तथा नस्ती में इसके बाद की नीलामी और वसूली कार्यवाही से सम्बंधित जानकारी नहीं पायी गई इस प्रकार विभाग प्रकरण का प्रभावशाली अनुसरण करने में विफल रहा जिससे राशि ₹ 85.79 लाख की वसूली नहीं हो सकी।
हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर (जून 2012) कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (दिसम्बर 2012) कि मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितम्बर एवं अक्टूबर 2012 में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, सम्पत्ति नीलामी के सभी प्रयास किये गये थे। तथापि, सत्य यह है कि मार्च 2006 से जुलाई 2010 तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी तथा बकाया राशि की अभी तक वसूली नहीं की गयी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2013)					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	वृत्त XV, इन्दौर, संभाग I/ जून 2012	मैसर्स कौशल्या आटो सिंग प्राइवेट लिमिटेड	13.92	1995-96 से 1999-2000/ मार्च 2001 और दिसम्बर 2002 के बीच	बकाया के मुगतान में वृत्त के कारण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार कार्यवाही करते हुए इन व्यवसायों की सम्पत्ति को जब्त करने हेतु मार्च 2003 में कुर्की आदेश जारी किये गये। तीनों ही प्रकरणों में मार्च 2007 में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा सम्पत्तियों का मूल्यांकन कराया गया। हालांकि सम्पत्ति की नीलामी के कई बार प्रयास किये गये लेकिन मैसर्स कौशल्या आटो सिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण को छोड़कर निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण जनवरी 2012 तक सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जा सका। मैसर्स कौशल्या आटो सिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में फरवरी 2008 में ₹ 3.25 लाख की एक निविदा प्राप्त हुई जिसे सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य ₹ 14.45 लाख से कम होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। जनवरी 2012 एवं मार्च 2012 में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन कराये जाने हेतु पुनः आदेशित किया गया, इसके बाद की जानकारी नस्तियों में दर्ज नहीं पायी गई। मूल्यांकन नहीं कराये जाने के कारण सम्पत्तियों का निरन्तरण नहीं हो पाया जिसके फलस्वरूप बकाया राशि ₹ 48.54 लाख की वसूली नहीं हो सकी।
6.	वृत्त XV, इन्दौर, संभाग I/ जून 2012	मैसर्स जी.के. टाइटनर प्राइवेट लिमिटेड	14.85	1994-95 से 1996-97/ सितम्बर 1998 और दिसम्बर 2002 के बीच	बकाया के मुगतान में वृत्त के कारण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार कार्यवाही करते हुए इन व्यवसायों की सम्पत्ति को जब्त करने हेतु मार्च 2003 में कुर्की आदेश जारी किये गये। तीनों ही प्रकरणों में मार्च 2007 में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा सम्पत्तियों का मूल्यांकन कराया गया। हालांकि सम्पत्ति की नीलामी के कई बार प्रयास किये गये लेकिन मैसर्स कौशल्या आटो सिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण को छोड़कर निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण जनवरी 2012 तक सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जा सका। मैसर्स कौशल्या आटो सिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में फरवरी 2008 में ₹ 3.25 लाख की एक निविदा प्राप्त हुई जिसे सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य ₹ 14.45 लाख से कम होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। जनवरी 2012 एवं मार्च 2012 में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन कराये जाने हेतु पुनः आदेशित किया गया, इसके बाद की जानकारी नस्तियों में दर्ज नहीं पायी गई। मूल्यांकन नहीं कराये जाने के कारण सम्पत्तियों का निरन्तरण नहीं हो पाया जिसके फलस्वरूप बकाया राशि ₹ 48.54 लाख की वसूली नहीं हो सकी।
7.	वृत्त XV, इन्दौर, संभाग I/ जून 2012	मैसर्स वचन कैप्स प्राइवेट लिमिटेड	19.77	1996-97 से 1998-99/न नस्ती में उपलब्ध नहीं	बकाया के मुगतान में वृत्त के कारण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता के अनुसार कार्यवाही करते हुए इन व्यवसायों की सम्पत्ति को जब्त करने हेतु मार्च 2003 में कुर्की आदेश जारी किये गये। तीनों ही प्रकरणों में मार्च 2007 में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा सम्पत्तियों का मूल्यांकन कराया गया। हालांकि सम्पत्ति की नीलामी के कई बार प्रयास किये गये लेकिन मैसर्स कौशल्या आटो सिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण को छोड़कर निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण जनवरी 2012 तक सम्पत्ति का विक्रय नहीं किया जा सका। मैसर्स कौशल्या आटो सिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में फरवरी 2008 में ₹ 3.25 लाख की एक निविदा प्राप्त हुई जिसे सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य ₹ 14.45 लाख से कम होने के कारण स्वीकार नहीं किया गया। जनवरी 2012 एवं मार्च 2012 में कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन कराये जाने हेतु पुनः आदेशित किया गया, इसके बाद की जानकारी नस्तियों में दर्ज नहीं पायी गई। मूल्यांकन नहीं कराये जाने के कारण सम्पत्तियों का निरन्तरण नहीं हो पाया जिसके फलस्वरूप बकाया राशि ₹ 48.54 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

इन प्रकरणों में आगे हुई प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.15 बी.आई.एफ.आर. के साथ लम्बित प्रकरणों में अनुसरण कार्यवाही न होने के कारण बकाया की वसूली नहीं हो पाना

- संभाग II जबलपुर के कटनी वृत्त I के व्यवसायी मैसर्स बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की वसूली नस्ती की नमूना जाँच के दौरान हमने पाया (अगस्त 2012) कि व्यवसायी के विरुद्ध अवधि 1992-93 से 1996-2000 के अवधि की कर निर्धारित राशि ₹ 16.70 लाख बकाया था। प्रकरण⁹ को बी.आई.एफ.आर. के पास लम्बित बताया जा रहा था। वसूली नस्ती की जाँच से विदित हुआ कि वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त I कटनी को सम्बोधित संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर जबलपुर के पत्र (अप्रैल 2004) के अनुसार, व्यवसायी की आठ एकड़ जमीन जबलपुर के निकट थी जिसके पश्चिमी रेलवे (प0रे0) द्वारा विक्रय किये जाने की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने अधिनियम की धारा 38¹⁰ के अन्तर्गत सूचना पत्र जारी करने एवं मामले को प0रे0 के समक्ष उठाने हेतु निर्देशित किया था। आठ माह व्यतीत हो जाने के पश्चात दिसम्बर 2004 में कराधान प्राधिकारी ने प0रे0 को पत्र लिखा। भूमि की स्थिति के बारे में इसके बाद की जानकारी अभिलेखों में संधारित नहीं पायी गई, पुनः, वसूली नस्ती की आगे जाँच में पता चला कि शासकीय अधिवक्ता द्वारा (नवम्बर 2007) अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर को सूचित किया गया था कि संशोधित ऋण पुनर्वास योजना (सं.ऋ.पु.यो.)¹¹ के सम्बंध में विभाग का अभिमत बीआईएफआर के सम्मुख रखा जाना था। बीआईएफआर ने 27 फरवरी 2008 की तिथि इस मुद्दे पर पुनः सुनवाई हेतु

⁹ बी.आई.एफ.आर. प्रकरण क्रमांक 508/1994

¹⁰ धारा 38 स्पेशल मोड ऑफ रिकवरी से सम्बंधित है।

¹¹ बीमार इकाई के पुनर्वास की योजना जो कि इकाई स्वामी द्वारा बीआईएफआर को प्रस्तुत करनी होती है।

निर्धारित की थी। सुनवाई के परिणाम नस्ती में दर्ज नहीं पाये गये। अप्रैल 2011 से मई 2012 के बीच के शासकीय अधिवक्ता एवं विभाग के बीच हुए पत्राचार के माध्यम से विदित हुआ कि उपर्युक्त बकाया की वसूली हेतु सं.ऋ.पु.यो. के सम्बंध में विभाग का पक्ष शासकीय अधिवक्ता को संसूचित नहीं किया गया था जिससे कि उपरोक्त बकाया के बारे में बीआईएफआर के समक्ष यथोचित प्रस्तुतीकरण हो सके। इस प्रकार, इस मामले में विभाग द्वारा किये गये असाधारण विलम्ब के कारण ₹ 16.70 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि ऋण पुनर्वास योजना (ऋ.पु.यो.) की प्रति विभाग द्वारा अभी तक (दिसम्बर 2012) प्राप्त नहीं की जा सकी है। आगे की प्रगति के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

- संभाग II ग्वालियर के वृत्त II के व्यवसायी मैसर्स मिडलैण्ड प्लास्टिक लिमिटेड के इकाई नं II, मैसर्स सुपर सैक की वसूली नस्ती की नमूना जांच (जून 2012) में हमने पाया कि व्यवसायी के विरुद्ध 1997-98 से 2007-08 की अवधि से सम्बंधित ₹ 3.12 करोड़ की राशि बकाया थी। आगे, कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 13 मार्च 2009 को राशि ₹ 60.64 लाख जो कि समस्त बकाया से ₹ 2.51 करोड़ कम था, की वसूली हेतु व्यवसायी की सम्पत्ति जब्त करने के लिए कुर्की आदेश जारी किया गया। वसूली योग्य बकाया से कम राशि का जब्ती आदेश जारी करने के कारण न तो नस्ती में दर्ज पाये गये और न ही कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये। इकाई के बीआईएफआर के अन्तर्गत पंजीकृत होने (103/06) की अभियुक्ति सहित उचित कार्यवाही हेतु, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त II, संभाग II ग्वालियर के द्वारा उपर्युक्त सूचना पत्र पर कर निर्धारण प्राधिकारी को वापस कर दिया गया। बीआईएफआर के समक्ष दिनांक 29 मई 2007 को हुई सुनवाई की कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण अभिलेखों में दर्ज विवरणानुसार इकाई द्वारा आठ सप्ताह के भीतर समस्त अन्तर्ग्रस्त पक्षों के अनुमोदनों सहित ऋण पुनर्वास योजना प्रस्तुत की जानी थी। स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई) को क्रियान्वयन एजेन्सी नियुक्त किया गया था। ऋण पुनर्वास योजना एवं इसके बीआईएफआर के समक्ष प्रस्तुतीकरण के सन्दर्भ में आगामी प्रगति नस्ती में दर्ज नहीं पायी गई। शासकीय अधिवक्ता के पत्र (30 अप्रैल 2011) से विदित हुआ कि एसबीआई द्वारा कम्पनी के प्रति वास्तविक बकाया के विवरण एवं उक्त बकाया कि बदले में स्वीकार्य न्यूनतम राशि की जानकारी चाही गई थी ताकि सरफेसी¹² अधिनियम के अन्तर्गत एसबीआई द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्तियों का विक्रय किया जा सके, नस्ती में ऐसी कोई जानकारी दर्ज नहीं पायी गयी कि विभाग

¹²

सिक्वोरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्सल असैट एण्ड इन्फोसमेंट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट, 2002

द्वारा कोई दावा प्रस्तुत किया गया। इकाई के विरुद्ध ₹ 3.12 करोड़ का बकाया अभी भी लम्बित है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रकरण की समीक्षा कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा। मामले की आगे कोई प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2013)।

2.10.16 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

2.10.16.1 निष्कर्ष

विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य संवर्धन कर राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत है एवं आयुक्त वाणिज्यिक कर को बकाया की वसूली हेतु राजस्व प्राधिकारियों की शक्तियां दी गई है। वसूली हेतु बकाया राजस्व की वसूली विभाग द्वारा किया जाना अनिवार्य है। हमने पाया कि विभाग द्वारा आर.आर.सी. प्रकरणों का पर्याप्त पर्यवेक्षण नहीं किया गया, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आर.आर.सी./मांग की सूचना पत्र या तो जारी नहीं किये गये या विलम्ब से जारी किये गये थे। हमने यह भी देखा बताया कि अन्य वृत्तों/अन्य राज्यों को जारी/प्रेषित आर.आर.सी. का अनुसरण नहीं किया जा रहा था, बकाया वसूली हेतु सम्पत्ति कुर्क नहीं की गई थी या कुर्क सम्पत्तियों को उचित समयावधि में नीलामी नहीं की गयी थी। शासकीय परिशोधक एवं बी.आई.एफ.आर. के समक्ष प्रस्तुत दावों का त्वरित एवं प्रभावकारी अनुसरण नहीं किया गया था। ये मुद्दे प्रणाली की कमजोरी को दर्शाते हैं एवं बकाया के संग्रहण हेतु एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता को अपरिहार्य बनाते हैं।

2.10.16.2 सुझावों का सारांश

शासन विचार कर सकता है कि :

- पांच वर्षों से अधिक अवधि के बकाया के सम्बंध में विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाय, जिससे उक्त बकाया को काफी पुराना बकाया होने के कारण वसूल नहीं हो पाने के जोखिम से बचाव संभव हो सके;
- विक्रय व्यापार इत्यादि पर कर/वैट पर प्रभावकारी एवं नियमित अनुसरण हेतु एक तंत्र का सृजन किया जाय एवं बकाया की वसूली पर केन्द्रित करने हेतु विभाग में एक समर्पित वसूली तंत्र की स्थापना की जाये;

- चूक वाले प्रकरणों के कर निर्धारण में विलम्ब आर.आर.सी. के जारी करने तथा राज्य के भीतर अन्य वृत्तों एवं राज्य के बाहर आर.आर.सी. प्रेषित करने वाले मामलों में अनुसरण न होना आदि से सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाना; तथा
- बकाया की स्थिति को सही प्रतिवेदित करने हेतु बकाया की स्थिति की समीक्षा एवं मिलान किया जाना।

2.11 कर की गलत दर लागू किया जाना

दो उपायुक्त कार्यालय¹³ आठ क्षेत्रीय कार्यालय¹⁴ एवं 21 वृत्त कार्यालय¹⁵

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम (अधिनियम) तथा मध्य प्रदेश वैट अधिनियम सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर (सी.एस.टी.) अधिनियम तथा उनके अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं में विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर तथा वैट की दरों को निर्दिष्ट किया गया है। अधिनियम एवं वैट अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित तरीके से देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह ब्याज के भुगतान का दायी होगा।

हमने अवधि 2003-04 से 2008-09 हेतु जनवरी 2008 एवं मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारित 50 व्यवसायियों के 50 प्रकरणों में अवलोकित किया (मार्च 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि ₹ 26.77 करोड़ के विक्रय टर्न ओवर पर गलत दरों से कर आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.42 करोड़ के ब्याज/शास्ति सहित ₹ 3.67 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ। कुछ उदाहरणों का

उल्लेख नीचे किया गया है :

स.क्र.	इकाई का नाम प्रकरणों की संख्या	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम	टर्न ओवर (₹ करोड़ में)	लागू कर की दर (प्रतिशत)	लागू की गई कर की दर (प्रतिशत)	कर के कम आरोपण की राशि (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वा.क.अ., वृत्त V, भोपाल 1	2007-08 मई 2010	उजाला सुप्रीमो (व्हाइटनिंग एजेन्ट)	4.84	12.5	4	164.42
2.	वा.क.अ., वृत्त III, ग्वालियर 1	2007-08 जून 2010	इन्सुलेशन और लेमिनेशन	4.00	12.5	4	34.00
3.	वा.क.अ., वृत्त I, जबलपुर 1	2007-08 मई 2010	ब्लिचिंग पाउडर तथा सोडा ऐश	1.83	12.5	4	15.57
4.	क्षे.स.आ., देवास 1	2007-08 अप्रैल 2010	ऑल्ड प्लांट, मशीनरी तथा कार	0.90	12.5	निरंक	11.00

¹³ सतना तथा ग्वालियर।

¹⁴ भोपाल, देवास, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, नीमच, सतना तथा रतलाम।

¹⁵ भोपाल (3), दमोह, धार, ग्वालियर, इन्दौर (4), जबलपुर (2), कटनी, खण्डवा, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, सागर (2), विदिशा तथा बैहना।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	वा.क.अ., वृत्त II, रतलाम 1	2006-07 मई 2009	जी.टी.एच.	0.92	12.5	4	10.88

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने आठ व्यवसाइयों के प्रकरण में प्रकरणों का पुनः करनिर्धारण कर (जुलाई 2011 से सितम्बर 2012 के मध्य) ₹ 2.17 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की। एक व्यवसायी के प्रकरण में, क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, रतलाम ने ₹ 1.07 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जनवरी 2011)। 33 व्यवसाइयों के प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारी सत्यापन/परीक्षण के उपरान्त कार्रवाई करने पर सहमत हुए (मार्च 2009 से मार्च 2012)।

आठ व्यवसाइयों के शेष प्रकरणों में विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणियाँ निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित है :

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	अंतर्निहित राशि (₹ लाख में)	लागू/लागू की गई कर की दर	वस्तु	विभागीय उत्तर	हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	वा.क.अ., वृत्त-I, भोपाल 1	3.22	12.5 4	फेब्रिकेटेड स्टील आयटम	कार्य संविदा के अन्तर्गत एम.एस. टैंक निर्माण कर आपूर्ति किया गया था एवं इसके निर्माण में उपयोग किए गए लोहा एवं इस्पात पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था।	दस्तावेजों में दर्ज तथ्य तथा आयुक्त, वा.क., म.प्र. द्वारा दिए गए निर्णय ¹⁶ को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्तर से सहमत नहीं हैं। फेब्रिकेटेड स्टील आयटम 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
2.	वा.क.अ., वृत्त-वैद्वन 2	11.67 10.00	12.5 4	ट्रेड रबर	अधिनियम की अनुसूची-II के प्रविष्टि क्रमांक 55(41) (कम्पाउंड रबर अनवलकनाइज्ड) के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से रूही कर आरोपित किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि व्यापार खाता, पंजीयन प्रमाण पत्र एवं कर निर्धारण आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्यवसायी ट्रेड रबर का व्यवसाय करता है जो 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
3.	वा.क.अ., वृत्त-I, मन्दसौर 1	4.24	9.2 4.6	क्लोरीनेटेड पैराफिन वेक्स (सी.पी.डब्ल्यू)	क्लोरीनेटेड पैराफिन वेक्स रसायन के अन्तर्गत वर्गीकृत है एवं तदनुसार कर आरोपित किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आयुक्त, वा.क., म.प्र. द्वारा दिये गये निर्णय ¹⁷ के अनुसार, सी.पी.डब्ल्यू रसायनिक उत्पाद है न कि

¹⁶ (i) मेसर्स तुंग भद्र स्टील प्रोडक्ट्स प्रा.लि. विरूद्ध सी.एस.टी. एम.पी. (2005) 6 एस.टी.जे. 650 (एम.पी.बोर्ड) तथा (ii) मेसर्स सिम्प्लेक्स इंजीनियरिंग एण्ड फाउण्ड्री वर्क्स, राजनांदगाँव (2008) 13 एस.टी.जे. 183 (सी.सी.टी., छ.ग.)।

¹⁷ मेसर्स बी.सी.एम. ऑर्गेनिक केमिकल, इन्दौर (2005) 7 एस.टी.जे. 215।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	वा.क.अ., वृत्त-VI, भोपाल 1	3.51	$\frac{12.5}{4}$	ब्लिचिंग पावडर	ब्लिचिंग पावडर रसायन है एवं तदनुसार कर आरोपित किया गया था।	आयुक्त, वा.क., म.प्र. द्वारा दिये गये निर्णय ¹⁸ को वृष्टिगत रखते हुए हम उत्तर से सहमत नहीं हैं।
5.	वा.क.अ., वृत्त-IX, इन्दौर 1	0.56	$\frac{12.5}{1.5}$	पुरानी कार	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि करारोपण सही किया गया है।	हम अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर से सहमत नहीं हैं।
6.	वा.क.अ., वृत्त-I, कटनी 1	0.71	$\frac{12.5}{4}$	झायर्स	आरोपित कर सही था क्योंकि व्यवसायी ने झायर्स के लोह संरचना का विक्रय किया था।	उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर से सहमत नहीं हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि व्यवसायी ने झायर्स या इसके पार्ट्स का विक्रय किया था तथा यह 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
7.	वा.क.अ., वृत्त-II, रतलाम 1	10.88	$\frac{12.5}{4}$	डी.टी.एच. (डिश एंटीना)	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी ने एंटीना, मल्टीमीडिया, टॉप बॉक्स तथा व्ही सेटों का विक्रय किया है जो अधिनियम की अनुसूची-II की प्रविष्टि क्र.51(ii),(xii) तथा 51. (12),(vi),(vii),(ix) के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अनुसूची में डिश एंटीना (सेट टॉप बॉक्स) की कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है। अतः वेद अधिनियम के अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

हमने प्रकरण को (जनवरी तथा सितम्बर 2012 के मध्य) विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013)।

¹⁸ मेसर्स भोपाल ब्लिच प्रा.लि., रायसेन (2007) 10 एस.टी.जे. 680।

2.12 टर्न ओवर का गलत निर्धारण

तीन उपायुक्त कार्यालय¹⁹, टैक्स ऑडिट विंग कार्यालय²⁰, 16 क्षेत्रीय कार्यालय²¹ तथा 11 वृत्त कार्यालय²²

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम (अधिनियम) 1994 की धारा 2 एवं म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 के अनुसार, किसी अवधि के टर्न ओवर का तात्पर्य व्यवसायी द्वारा उस अवधि में वस्तुओं के किसी विक्रय या आपूर्ति या वितरण के सम्बंध में निर्धारित अवधि के भीतर विक्रय वापसी की राशि को छोड़कर, प्राप्त किए गए या प्राप्त करने योग्य विक्रय मूल्यों के पूर्ण योग से है। कर योग्य टर्न ओवर का निर्धारण करने के उद्देश्य से अधिनियम एवं म.प्र. वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि कर-प्रदत्त वस्तुओं का विक्रय मूल्य तथा कर की राशि को विक्रय मूल्यों के कुल योग में सम्मिलित किया गया है तो उसे टर्न ओवर से घटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धारा 21(3) में प्रावधान है कि उपधारा (1) के अन्तर्गत कर निर्धारण या पुनर्करनिर्धारण कार्यवाही प्रारम्भ होने की तिथि से एक कैलेण्डर वर्ष में किया जाएगा।

हमने अवलोकित किया (जुलाई 2010 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) कि दिसम्बर 2008 तथा मार्च 2011 के मध्य 2005-06 तथा 2008-09 के मध्य की अवधियों के लिए कर निर्धारित 43 व्यवसाइयों के 44 प्रकरणों में टर्न ओवर व्यवसाइयों के लेखापरीक्षित लेखा पुस्तकों/विक्रय सूची सम्बंधित अभिलेख में दर्ज कुल टर्न ओवर के विरुद्ध ₹ 42.65 करोड़ कम निर्धारित किया गया। इस प्रकार, कुल टर्न ओवर ₹ 42.65 करोड़ के लिये कर निर्धारित नहीं किया गया तथा परिणामस्वरूप

₹ 3.73 लाख के ब्याज/शारित सहित ₹ 2.82 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने आठ व्यवसाइयों के आठ प्रकरणों में प्रकरणों का पुनर्करनिर्धारण किया तथा ₹ 28.95 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की (दिसम्बर 2011 तथा जून 2012 के मध्य)। 29 अन्य व्यवसाइयों के 29 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया (जुलाई 2010 तथा दिसम्बर 2011 के मध्य) कि सत्यापन/परीक्षण के पश्चात कार्रवाई की जायेगी, जबकि छः व्यवसाइयों के शेष सात प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों का उत्तर निम्नानुसार है :

¹⁹ भोपाल, इन्दौर तथा सतना।

²⁰ इन्दौर।

²¹ भोपाल, ग्वालियर, गुना, इन्दौर (4), इटारसी, जबलपुर (2), खण्डवा, खरगौन, सतना (2), सागर तथा सैधवा।

²² भोपाल, बुरहानपुर, धार, हरदा, इन्दौर (3), जबलपुर, सतना (2) तथा वैड़न।

स.क्र.	इकाई का नाम	अवधि कर निर्धारण का माह	संक्षिप्त में हमारा प्रेक्षण	विभागीय उत्तर/हमारी टिप्पणी
1.	क्षे.स.आ., सेंधवा क्षे.स.आ., खरगौन क्षे.स.आ. -I, खण्डवा	2007-08 नवम्बर 2009 2006-07 जून 2009 तथा 2007-08 दिसम्बर 2009 2007-08 जुलाई 2009	बैलेन्स शीट के अनुसार ₹ 12.49 लाख के वाहनों का विक्रय मूल्य टर्न ओवर में सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप (₹ 20,292 के व्याज सहित) ₹ 1.76 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।	कर निर्धारण प्राधिकारी, सेंधवा ने उत्तर दिया (नवम्बर 2010) कि म0प्र0 के पंजीयत व्यवसायी से कर चुका कर वाहन क्रय किये गये थे इसलिए कर आरोपित नहीं किया गया था। कर निर्धारण प्राधिकारियों, खरगौन एवं खण्डवा ने 1.5 प्रतिशत की दर से शारित सहित ₹ 44.671 के कर की माँग सृजित की (दिसम्बर 2011)। हम कर निर्धारण प्राधिकारियों के उत्तर/प्रत्युत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अधिसूचना क्र.70 दिनांक 15 सितम्बर 2006 के अनुसार, वाहन 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
2.	क्षे.स.आ., संभाग-II, इन्दौर	2007-08 जून 2010	अचल परिसम्पत्तियों की अनुसूची-5 के अनुसार, ₹ 8.25 लाख के प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.03 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि बैलेन्स शीट के अनुसार विक्रय किया गया प्लांट एवं मशीनरी अन्य राज्य की शाखा से सम्बंधित है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि शाखा का क्रय एवं विक्रय लेखा प्रकरण के साथ पृथक से सलग्न पाया गया था।
3.	क्षे.स.आ., संभाग-II, इन्दौर	2006-07 अप्रैल 2009	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुलग्नक-III के अनुसार ₹ 28.46 लाख के प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.56 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि प्रकरण पूर्व में ही धारा 28(1) के अन्तर्गत पुनः खोला जा चुका है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि दिनांक 17.06.2010 को व्यवसायी को नोटिस जारी हुए एक वर्ष बीत चुका है एवं धारा 21 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत नोटिस जारी होने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के पश्चात पुनर्करनिर्धारण नहीं किया जा सकता।
4.	वा.क.अ., वृत्त -II, सतना	2007-08 दिसम्बर 2009	परिसम्पत्तियों की अनुसूची 'डी' के अनुसार, प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य ₹ 4.16 लाख को टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16,224 के व्याज सहित ₹ 68,254 के कर की कम प्राप्ति हुई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने उत्तर दिया (अगस्त 2011) कि प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय मूल्य को विवरणियों में शामिल किया गया है एवं उस पर पूर्व में ही कर आरोपित किया जा चुका है। उत्तर तथ्यों के विपरीत है क्योंकि प्लांट एवं मशीनरी के विक्रय को कर योग्य टर्न ओवर में शामिल नहीं किया गया है।

हमने प्रकरण जनवरी तथा मार्च 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.13 अमान्य आगत कर छूट की स्वीकृति

(क) उपायुक्त कार्यालय ग्वालियर, पाँच क्षेत्रीय कार्यालय²³ तथा नौ वृत्त कार्यालय²⁴

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा – 14 के अनुसार, जहां एक पंजीकृत व्यवसायी अधिनियम की अनुसूची II के भाग III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं का किसी अन्य पंजीकृत व्यवसायी से आगत कर का भुगतान कर क्रय करता है तो उसे ऐसे आगत कर की राशि की आगत कर छूट (आई.टी.आर.) की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

हमने जून 2010 से दिसम्बर 2011 के दौरान अवलोकित किया कि मई 2009 तथा नवम्बर 2010 के मध्य 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए कर निर्धारित

15 व्यवसाइयों को ₹ 87.18 लाख का अमान्य आगत कर छूट प्रदान की गई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारियों ने 13 प्रकरणों में बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी। शेष दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर एवं हमारी टिप्पणी निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

स. क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि कर निर्धारण का माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर एवं हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वा.क.अ., वृत्त-दमोह 1	2007-08 सितम्बर 2009	व्यवसायी ने अन्य व्यवसाइयों से ₹ 4.81 लाख के आगत कर का भुगतान कर ₹ 38.45 लाख मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का क्रय किया जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 4.99 लाख की आगत कर छूट स्वीकृत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 18,000 की आगत कर छूट की गलत स्वीकृति प्रदान की।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि आई.टी.आर. नियमानुसार स्वीकृत किया गया है। अंकक्षित लेखाओं में उपलब्ध तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर से सहमत नहीं हैं।

²³ भोपाल, छिन्दवाड़ा, इन्दौर, जबलपुर तथा सागर।

²⁴ भोपाल (2), दमोह, ग्वालियर, हरदा, जबलपुर, मन्दासौर तथा सतना (2)।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	उपायुक्त, संभाग-II., ग्वालियर 1	2007-08 दिसम्बर 2009	व्यवसायी ने ₹ 6.53 लाख का उच्च गति डीजल (एच.एस.डी.) क्रय किया (उच्च गति डीजल अनुसूची II भाग III की वस्तु है जिस पर आई.टी.आर. अनुमत्य नहीं है) कर निर्धारण प्राधिकारी ने इस पर ₹ 1.70 लाख के गलत आई.टी.आर. की अनुमति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.70 लाख की अधिक आगत कर छूट की स्वीकृति प्रदान की गई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि जैसा कर निर्धारण आदेश में उल्लेख किया गया है, उच्च गति डीजल पर आगत कर रिबेट स्वीकृत नहीं किया गया है। जुलाई 2007 से सितम्बर 2009 की अवधि से सम्बंधित त्रैमासिक विवरणी के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर से सहमत नहीं हैं, जिसमें ₹ 2.67 लाख के आगत कर रिबेट का समायोजन किया गया है। जिसमें उच्च गति डीजल पर स्वीकृत आगत कर रिबेट की राशि ₹ 1.70 लाख शामिल है।

(ख) क्षे.स.आ., कार्यालय, रतलाम

अधिसूचना क्र. ए-3-195-2005-1-V(31) दिनांक 31.03.2006 के पैरा 3(3) के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्मित वस्तु वैट अधिनियम की अनुसूची II में वर्णित वस्तु है, व्यवसाई अपनी कर देयता की गणना में राज्य में विक्रय पर संग्रहीत करों में से आगत कर रिबेट की राशि कम करेगा एवं उसे आगत कर से अधिक संग्रहीत की गई कर की राशि रखने की पात्रता होगी। इस प्रकार रखी गयी राशि कर लाभ की संचयी राशि की गणना में शामिल की जाएगी।

हमने जनवरी 2011 में अवलोकित किया कि अवधि 2006-07 हेतु जून 2009 में कर निर्धारित एक व्यवसायी को ₹ 53.89 लाख की अमान्य आगत कर छूट को अग्रेनीत करने की गलत अनुमति प्रदान की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 53.89 लाख की आगत कर छूट की अधिक स्वीकृति प्रदान की गयी। हमारे द्वारा प्रकरण को इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने

दिनांक 31.03.2006 की अधिसूचना का सन्दर्भ देते हुए बताया कि कर मुक्ति अवधि की आगत कर छूट को कर निर्धारण वर्ष की शेष अवधि में समायोजित किया जा सकता है। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में हम कर निर्धारण प्राधिकारी के उत्तर से सहमत नहीं हैं। अधिसूचना के अनुसार कर मुक्ति अवधि के विक्रय हेतु संगणित वैट के विरुद्ध पहले ₹ 53.89 लाख की छूट को समायोजित किया जाना था तथा अतिरिक्त आगत कर छूट को कर लाभ की संचयी राशि की गणना में शामिल किया जाना चाहिए था। फिर भी कर निर्धारण प्राधिकारी ने वैट की पूर्ण राशि को कर लाभ की संचयी राशि के विरुद्ध समायोजित किया। परिणामस्वरूप

₹ 53.89 लाख की आगत कर छूट को अगली तिमाही में समायोजन हेतु आगे अग्रेनीत किया गया था जो उक्त अधिसूचना के अनुसार नहीं था।

(ग) उपायुक्त कार्यालय, इन्दौर, क्षेत्रीय कार्यालय देवास तथा तीन वृत्त कार्यालय²⁵

म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के अनुसार जहाँ एक पंजीकृत व्यवसायी अधिनियम की अनुसूची II के भाग III में वर्णित वस्तुओं से भिन्न वस्तु अन्य वस्तुओं के निर्माण में उपयोग या खपत के लिए क्रय करता है और व्यवसायी ने राज्य के भीतर विक्रय को छोड़कर वस्तुओं को अन्यथा निवर्तन किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा देय कर में आगत कर छूट का दावा एवं समायोजन किया है, तो वह ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य का चार प्रतिशत या शुद्ध आगत कर, जो भी कम हो, के भुगतान का दायी होगा। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि जहाँ एक पंजीकृत व्यवसायी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत कर मुक्त घोषित की गई वस्तुओं के विक्रय के सम्बंध में निर्माण या प्रोसेसिंग या पैकिंग के लिए/में खपत या उपयोग के लिए आगत कर के भुगतान के पश्चात किसी वस्तु का क्रय करता है तो उसे ऐसी वस्तु के क्रय मूल्य के चार प्रतिशत से अधिक ऐसे आगत कर की राशि की आगत कर छूट की पात्रता होगी।

हमने फरवरी 2011 से मार्च 2012 के मध्य अवलोकित किया कि 2006-07 से 2008-09 की अवधि के लिए मई 2009 तथा दिसम्बर 2010 के मध्य कर निर्धारित पाँच व्यवसायियों को विक्रय को छोड़कर अन्यथा राज्य के बाहर स्थानान्तरित माल पर दावा की गई आगत कर छूट वापस भुगतान न करने के कारण ₹ 36.04 लाख की

अमान्य आगत कर छूट या कर मुक्त वस्तुओं के विक्रय पर अधिक छूट प्रदान की गई थी।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारियों ने चार प्रकरणों में बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी। शेष दो प्रकरणों में, हमारे प्रेक्षण एवं विभाग के उत्तर निम्नानुसार हैं :

²⁵

भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर।

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसायों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि कर निर्धारण का माह	हमारा प्रेक्षण	विभाग का उत्तर और हमारी टिप्पणी
1.	उपायुक्त, संभाग-III, इन्दौर 1	2007-08 मार्च 2010	व्यवसायी ने टर्न ओवर का 12.5 प्रतिशत ₹ 20.36 करोड़ का माल राज्य के बाहर स्टॉक ट्रान्सफर पर वस्तु स्थानान्तरित/विक्रय किया। कर चुके क्रय का विक्रय ₹ 27.62 करोड़ भी टर्न ओवर में शामिल था। इसका तात्पर्य है कि स्टॉक ट्रान्सफर की गई ₹ 3.45 करोड़ मूल्य का माल जो कर चुका क्रय का 12.5 प्रतिशत है जिसे राज्य के बाहर ट्रान्सफर (विक्रय) किया गया था जिसके विरुद्ध व्यवसायी को 4 प्रतिशत की दर से आई.टी.आर. ₹ 13.81 लाख वापस करना था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने ₹ 13.81 लाख के स्थान पर ₹ 4.54 लाख के आई.टी.आर. समायोजन की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.27 लाख के आई.टी.आर. की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि विक्रय सूची के अनुसार, ₹ 1.18 करोड़ का विक्रय राज्य के बाहर किया गया था जिस पर 4 प्रतिशत की दर से ₹ 4.54 लाख का आई.टी.आर. वापसी किया गया। कर निर्धारण आदेश में उपलब्ध तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में हम उत्तर से सहमत नहीं हैं जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि राज्य के बाहर विक्रय ₹ 20.36 करोड़ है। राज्य के बाहर विक्रय कुल विक्रय का 12.5 प्रतिशत है। वह आनुपातिक मूल्य, जिस राशि पर आगत कर रिबेट वापसी की जाती है कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई राशि ₹ 1,18,12,920 के स्थान पर ₹ 3,45,21,096 (कुल कर चुके क्रय का 12.5 प्रतिशत) संगणित होता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9,26,500 के आई.टी.आर. की कम वापसी हुई।
2.	उपायुक्त, संभाग-III, इन्दौर 1	2008-09 दिसम्बर 2010	व्यवसायी ने धारा 16 के अन्तर्गत कर मुक्त वस्तुओं का निर्माण कर विक्रय किया। अवधि के दौरान व्यवसायी ने ₹ 4.19 लाख के कर का भुगतान करने के पश्चात प्लांट एवं मशीनरी क्रय किया (4 प्रतिशत एवं 12.5 प्रतिशत की दर से) तथा कर मुक्त माल के निर्माण में उसका उपयोग किया। कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण करते समय ₹ 2.02 लाख (4 प्रतिशत से अधिक) के स्थान पर ₹ 4.19 लाख की आगत कर छूट की अनुमति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.17 लाख के अधिक आगत का रिबेट की अनुमति प्रदान की गयी।	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि वृत्ति व्यवसायी विद्युत ऊर्जा का निर्माता नहीं था, उन पर म.प्र. वेट अधिनियम की धारा 14(5)(व) के अंतर्गत आगत कर छूट वापसी के प्रावधान लागू होने योग्य नहीं थे और इस प्रकार आरोपित कर सही था। हम म.प्र. वेट अधिनियम की धारा 14(5)(व) के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में उत्तर से सहमत नहीं हैं जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि प्लांट एवं मशीनरी का क्रय कर उन्हें करमुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है तो 4 प्रतिशत से अधिक आगत कर छूट की अनुमति दी जायेगी।

(घ) क्षेत्रीय सहायक आयुक्त कार्यालय, सागर

म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14(3) के अनुसार, उपधारा (1) के अधीन पंजीयत व्यवसायी द्वारा आगत कर की रिबेट ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उसके द्वारा देय कर के मद्दे समायोजित की जायेगी और अतिशेष, यदि कोई हो, पश्चात्पूर्वी वर्ष में देय कर के मद्दे सामयोजन के लिए लिया जाएगा। परन्तु आगत कर रिबेट जो सम्बंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के पश्चात भी असमायोजित रहती है, प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जायेगी।

हमने फरवरी 2011 में अवलोकित किया कि जून 2009 में 2006-07 की अवधि के लिए कर निर्धारित एक व्यवसायी को सोयाबीन के ₹ 9.15 करोड़ के अन्तिम स्कन्ध (क्लोजिंग स्टॉक) पर ₹ 36.61 लाख की आगत कर छूट दिया गया। आगे, कर निर्धारण प्राधिकारी ने

उक्त राशि की वापसी की गलत स्वीकृति दी। इस प्रकार यह आगामी दो वित्तीय वर्षों के लिए अग्रेनीत की जानी थी तथा केवल वह आगत कर छूट, जो सम्बंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के पश्चात भी असमायोजित रही, प्रतिदाय के रूप में प्रदान की जायेगी। हमारे द्वारा प्रकरण इंगित किये जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई करने पर सहमत हुए।

हमने जनवरी तथा सितम्बर 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.14 प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण

चार उपायुक्त कार्यालय²⁶, 14 क्षेत्रीय कार्यालय²⁷, 18 वृत्त कार्यालय²⁸ तथा एक एंटी इवेजन ब्यूरो²⁹

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 तथा उसके अधीन जारी नियमों और अधिसूचनाओं के अन्तर्गत खपत, उपयोग अथवा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले माल (वस्तुओं) पर निर्दिष्ट दरों पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

हमने 2003-04 से 2008-09 तक की अवधि हेतु जुलाई 2007 से मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारित/पुनर्निर्धारित 60 व्यवसायों के 67 प्रकरणों में अवलोकित किया (जनवरी 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि ₹ 114.79 करोड़ मूल्य के लोहा एवं इस्पात, प्लांट एवं मशीनरी, मोटर वाहनों, हाईस्पीड डीजल (एच. एस.डी.), कोयला, फरनेस ऑयल,

हैक्सेन ऑयल, घी, यू.पी.एस., होम यू.पी.एस., कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पार्ट्स, फ्लूड ऑयल (लुब्रीकेन्ट ऑयल) इत्यादि वस्तुओं के स्थानीय क्षेत्र में उनके प्रवेश पर प्रवेश कर या तो आरोपित नहीं किया गया या गलत दर से आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 79 लाख के ब्याज एवं शास्ति सहित ₹ 2.04 करोड़ के प्रवेश कर की प्राप्ति नहीं हुई/कम प्राप्ति हुई।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने आठ व्यवसायों के प्रकरणों में ₹ 44.04 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की जिनमें से ₹ 7.90 लाख की वसूली की जा चुकी है तथा एक प्रकरण में यह बताया गया कि धारा 21 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। अन्य 38 व्यवसायों के 44 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जायेगी। शेष चौदह व्यवसायों के पन्द्रह प्रकरणों में विभागीय उत्तर एवं उन पर हमारी टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं :

²⁶ छिन्दवाड़ा, इन्दौर (2) तथा सतना।

²⁷ भोपाल, छिन्दवाड़ा, इन्दौर (3), इटारसी, जबलपुर, कटनी, खण्डवा, रतलाम, सागर तथा सतना (3)।

²⁸ भोपाल (3), बुरहानपुर, ग्वालियर, हरदा, इन्दौर (5), इटारसी, जबलपुर, कटनी, सागर, सतना, सीहोर तथा उज्जैन।

²⁹ इन्दौर।

स. क्र.	इकाई का नाम व्यवसायों की संख्या	कर निर्धारण अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु का नाम माल की कीमत (₹ लाख में)	लागू की जाने वाली/ की गई कर की दर	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	क्षे.स.आ.-I छिंदवाड़ा 1 क्षे.स.आ.- संभाग III, इन्दौर 2 वा.क.अ., वृत्त-XIII, इन्दौर 1	2006-07 जून 2009 2004-05 तथा 2007-08 नवम्बर 2007 तथा मई 2010 2008-09 दिसम्बर 2010	फरनेस ऑयल 189.22	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी, छिंदवाड़ा ने बताया कि राज्य के बाहर से माल का क्रय नहीं किया गया था अतः प्रवेश कर आरोपणीय नहीं था। अन्य कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि माल पर कर चुकाया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची I/II में फरनेस ऑयल वर्णित नहीं है। अनुसूची III का माल होने के कारण यह उपयोग या खपत के समय कर योग्य था। अतः फरनेस ऑयल को करचुके माल के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता तथा प्रवेश कर अधिनियम की अनुसूची III के अनुसार एक प्रतिशत की दर से करयोग्य था।
2.	एंटी इवैजन ब्यूरो, इन्दौर-ब 1	26.07.07 से 28.07.07 जुलाई 2007	बीड़ी 1.40	10 2.5	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कर एवं शास्ति की गणना एवं निर्धारण अधिनियम के अनुसार किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि राज्य के बाहर से बीड़ी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराने पर 10 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।
3.	उपायुक्त, संभाग-III, इन्दौर 1	2007-08 मार्च 2010	एच.डी.पी.ई./ पी.पी.बैग्स 201.27	5 1	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि एच.डी.पी.ई./पी.पी. बुनी हुई बोरियों तथा थैलों पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपित किया गया था तथा उन पैकिंग मटेरियल पर जो एच.डी.पी.ई./पी.पी. बैग्स नहीं हैं, 1 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अभिलेख में उपलब्ध क्रय सूची के अनुसार, एच.डी.पी.ई./पी.पी. थैलों का क्रय किया गया था।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	उपायुक्त, संभाग-III, इन्दौर 1	2008-09 अक्टूबर 2010	एच.डी.पी.ई./ पी.पी.बैंग्स 38.05	5 1	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी द्वारा उपयोग किये गये आयातित एच.डी.पी. ई. थैले छोटे थे तथा बिना बुने हुए थैले थे।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रवेश कर अधिनियम की अधिसूचना क्रमांक 14 दिनांक 01 अप्रैल 2007 के अनुसार, एच.डी.पी.ई./पी.पी. बुनी हुई बोरी तथा थैले पर 5 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है तथा थैले के आकार पर कोई शर्त निर्धारित नहीं थी।
5.	उपायुक्त, संभाग-III, इन्दौर 1	2007-08 जुलाई 2010	एम.एस./ एस.एस.तार 291.13	2 1	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी द्वारा तांबा के तार का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया गया था जिस पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर देय है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि करयोग्य टर्न ओवर के बर्गीकरण तथा क्रय सूची के अनुसार, व्यवसायी द्वारा एमएस/एस.एस.तार क्रय किया गया था।
6.	वा.क.अ., वृत्त-I, भोपाल 1	2007-08 मार्च 2010	इमारती लकड़ी 26.44	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रवेश कर अधिनियम की अधिसूचना क्र. 29 दिनांक 22 सितम्बर 2007 के अनुसार इमारती लकड़ी कर मुक्त है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आंजीयत व्यवसाई से क्रय करने पर कथित अधिसूचना लागू योग्य नहीं है तथा इस अधिसूचना में यह भी उल्लेख है कि यदि कर निर्धारिती ने कोई कर जमा किया है तो वह वापसी योग्य नहीं है।
7.	उपायुक्त, वा.क. संभाग-III, इन्दौर 1	2008-09 नवम्बर 2010	प्लांट तथा मशीनरी 1,898.82	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि प्रकरण के साथ समस्त क्रय सूचियां संलग्न हैं तथा कार्यात्मिक आधार पर आपत्ति ली गई है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्लांट, मशीनरी एवं वाहन का आयातित मूल्य ₹ 52.96 करोड़ था किन्तु कर ₹ 33.97 करोड़ पर आरोपित किया गया।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	क्षे.स.आ.-I, <u>छिंदवाडा</u> 1	2008-09 नवम्बर 2010	<u>तांबे का तार</u> 87.02	<u>1</u> निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी ने मशीनरी तथा उसके पार्ट्स का क्रय विक्रय नहीं किया है। तांबे का तार अनुसूची III का माल है तथा कर आरोपण योग्य नहीं है।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि मेसर्स हिन्दुरतान बायर प्रोडक्टस (2002) 35 व्ही. के., एन. 305 (सी.एस.टी., म.प्र.) के प्रकरण में दिये गये निर्णय के अनुसार, प्रवेश कर अधिनियम की प्रविष्टि क्रमांक II/54 में कापर बाइंडिंग तार मशीनरी पार्ट्स की तरह कर योग्य है।
9.	क्षे.स.आ.-I, <u>जबलपुर</u> 1	2007-08 जुलाई 2010 एवं जनवरी 2011 (धारा 21 के अन्तर्गत)	<u>बिटुमिन</u> 242.52	<u>1</u> निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि उचित परीक्षण के पश्चात कर प्रदत्त कटौती को स्वीकृति दी गई।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उपलब्ध दस्तावेज स्पष्ट रूप से बिटुमिन/इमल्शन का क्रय दर्शाते हैं जो अनुसूची III में वर्गीकृत है तथा निर्माण कार्य संविदा में उपयोग किए जाने पर एक प्रतिशत की दर से कर योग्य है।
10.	वा.क.अ., वृत्त-XV, <u>इन्दौर</u> 1	2007-08 जुलाई 2010	<u>लोहा तथा</u> <u>इस्पात</u> 69.76	<u>2</u> 1	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि लोहा तथा इस्पात का क्रय नहीं किया गया था। केवल मशीनरी पार्ट्स का क्रय किया गया था तथा प्रवेश कर तदनुसार आरोपित किया गया था।	उत्तर क्रय सूची में दर्ज तथ्यों के अनुरूप नहीं है जो स्पष्ट रूप से लोहा एवं इस्पात के क्रय को दर्शाता है।
11.	वा.क.अ., वृत्त-IX, <u>इन्दौर</u> 1	2007-08 जून 2010	<u>हैक्सेन ऑयल</u> 92.66	<u>1</u> निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि व्यवसायी ने ईंधन क्रय किया था जिस पर कर चुकाया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि हैक्सेन ऑयल अनुसूची III में वर्गीकृत वस्तु है जो अन्य वस्तुओं के निर्माण हेतु उपयोग करने पर कर योग्य है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	वा.क.अ., वृत्त -XII, इन्दौर 1	2007-08 जुलाई 2010	कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पार्ट्स 252.00	1 निरंक	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कर सही दर से आरोपित किया गया था क्योंकि कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पार्ट्स धारा 3(2) के अन्तर्गत अधिसूचना क्र. 38 तथा 39 दिनांक 09 जून 2003 द्वारा अधिसूचित हैं। इसलिए प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत कर आरोपित नहीं किया जा सकता।	कर निर्धारण प्राधिकारी का उत्तर तथ्य की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3(2)(अ)(1) में प्रावधान है कि इस धारा के अन्तर्गत उन वस्तुओं पर प्रवेश कर आरोपणीय है जिस पर अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधानों के अधीन प्रवेश कर आरोपणीय नहीं है। अधिसूचना क्रमांक 23 दिनांक 29.03.2000 की समाप्ति के पश्चात प्रवेश कर अधिनियम की धारा 3(1) के प्रावधान के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2007 से कम्प्यूटर तथा इसके पार्ट्स पर प्रवेश कर आरोपणीय है।

हमने जनवरी तथा सितम्बर 2012 के मध्य प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.15 शास्ति का कम अधिरोपण

एक क्षेत्रीय कार्यालय³⁰

म.प्र. वैट अधिनियम की धारा 20(6) के अनुसार, यदि किसी व्यवसायी ने, जो किसी कालावधि के सम्बंध में कर चुकाने के दायित्वाधीन है, पंजीयन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो आयुक्त, वाणिज्यिक कर, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही के पूर्ण होने की तारीख से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर, ऐसे व्यवसायी का कर निर्धारण ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, करने के लिए अग्रसर होगा और उसका ऐसी सम्पूर्ण कालावधि के सम्बंध में अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से कर निर्धारण करेगा तथा उस पर शास्ति के रूप में ऐसी राशि अधिरोपित करेगा जो इस प्रकार निर्धारित किये गये कर की राशि से दुगुनी हो।

हमने फरवरी 2011 में अवलोकित किया कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अवधि 2007-08 हेतु दिसम्बर 2009 में कर निर्धारित एक व्यवसायी के एक प्रकरण में ₹ 4.75 लाख की शास्ति कम आरोपित की गई। कर निर्धारण प्राधिकारी ने अपंजीयत व्यवसायी पर

³⁰

नीमच।

म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 की धारा 20(6) के अनुसार निर्धारित कर की राशि के दुगुने अर्थात् ₹ 9.50 लाख के बजाय ₹ 4.75 लाख की शास्ति अधिरोपित की जो निर्धारित कर की राशि के बराबर थी। इसे इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी सत्यापन के उपरांत कार्रवाई करने पर सहमत हुए।

हमने प्रकरणों को मार्च 2012 में विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013)।

2.16 केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का अनारोपण/कम आरोपण

तीन क्षेत्रीय कार्यालय³¹, सात वृत्त कार्यालय³²

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत, प्रत्येक व्यवसायी जो अन्तर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के क्रम में किसी पंजीयत व्यवसाई को माल विक्रय करता है, तो ऐसे टर्न ओवर के चार प्रतिशत (1 अप्रैल 2007 से तीन प्रतिशत तथा 1 जून 2008 से दो प्रतिशत) के रियायती कर की दर से कर भुगतान के दायित्वाधीन होगा बशर्ते ऐसा विक्रय 'सी' फार्म प्रपत्र में घोषणाओं से समर्थित हो। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के अनुसार प्रत्येक विक्रेता व्यवसायी जो पंजीयत क्रेता व्यवसायी द्वारा निर्धारित प्राधिकारी से प्राप्त एवं उसके द्वारा विधिवत पूरित एवं हस्ताक्षरित 'सी' फार्म में घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह घोषित माल के अन्तर्राज्यीय विक्रय के सम्बंध में कर की रियायती दर के बजाय विनिर्दिष्ट दर की दुगुनी दर से तथा अन्य वस्तुओं के सम्बंध में 10 प्रतिशत या विनिर्दिष्ट दर से, जो अधिक हो, कर के भुगतान का दायी होगा।

2.16.1 हमने अवलोकित किया (दिसम्बर 2009 तथा मार्च 2012 के मध्य) कि अवधि 2005-06 तथा 2008-09 हेतु अक्टूबर 2007 तथा मार्च 2011 के मध्य कर निर्धारित 12 व्यवसाइयों के 13 प्रकरणों में ₹ 3.86 करोड़ के अन्तर्राज्यीय विक्रय पर जिनके समर्थन में 'सी' प्रपत्र में घोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये थे, या तो कर आरोपित नहीं किया गया था या गलत दर से कर आरोपित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.78 लाख के कर का अनारोपण/कम आरोपण

हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, एक प्रकरण में ₹ 4.05 लाख की माँग सृजित की गई (अक्टूबर 2010)। दस व्यवसाइयों के 11 प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया

³¹ इन्दौर, खण्डवा तथा मन्दासौर।

³² भोपाल (2), हरदा, इन्दौर, नीमच, सतना तथा विदिशा।

कि सत्यापन/परीक्षण के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि शेष एक व्यवसाई के एक प्रकरण में कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया (मई 2011) कि ब्लीचिंग पाउडर रसायन है तथा चार प्रतिशत की दर से करारोपण योग्य है। हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि आयुक्त, वाणिज्यिक कर के निर्णय³³ के परिप्रेक्ष्य में वैट अधिनियम की अवशिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत ब्लीचिंग पाउडर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

दो वृत्त कार्यालय³⁴

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6 क के अन्तर्गत, एक व्यवसायी जो अन्य व्यवसायी को माल का स्थानान्तरण करता है, उसे निर्धारित प्रपत्र निर्धारित रीति से निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत करने पर कर मुक्ति की अनुमति दी जाएगी।

2.16.2 हमने अवलोकित किया (जनवरी 2009 तथा सितम्बर 2011 के मध्य) कि अवधि 2005-06 से 2006-07 हेतु जनवरी 2008 तथा जून 2008 के मध्य कर निर्धारित दो व्यवसाइयों के दो प्रकरणों में ₹ 44.86 लाख के माल के स्टॉक ट्रांसफर/माल का एक राज्य से अन्य राज्य में पारगमन के सम्बंध में अन्तर्राज्यीय विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया गया था जबकि

घोषणा प्रपत्र एफ/ई-1 निर्धारित रीति में नहीं थे। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.18 लाख के कर का अनारोपण हुआ जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसाइयों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	वस्तु टर्न ओवर (₹)	लागू कर की दर (प्रतिशत)	लागू की गई कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित/कम आरोपित कर की राशि (₹)
1.	वा.क.अ., वृत्त -V, भोपाल मैसर्स रामटेक इण्डस्ट्रीज	2005-06 जनवरी 2008	केमीकल 29.65 लाख	10	—	2.96 लाख
कर निर्धारण प्राधिकारी ने 'एफ' प्रपत्र के आधार पर, जिसमें एक माह से अधिक के संव्यवहारों का विवरण था, स्टॉक ट्रांसफर की कटौती की गलत अनुमति प्रदान की। इसे इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने अक्टूबर 2010 में ₹ 2.96 लाख की माँग सृजित की।						
2.	वा.क.अ., वृत्त - बुरहानपुर मैसर्स मधुवन ट्रेडर्स	2006-07 जून 2008	कॉटन बेल्स 15.21 लाख	8	—	1.22 लाख
केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत व्यवसायी ने ₹ 15.21 लाख के लिए ई-1 प्रपत्र क्र. एमएच-06-0020004 दिनांक 21 मई 2008 को प्रस्तुत किया जो वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजाय वर्ष 2007-08 में अक्टूबर 2007 से दिसम्बर 2007 की अवधि के लिए वैध था। अतः दी गई छूट की अनुमति नियमानुसार नहीं थी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरान्त कार्रवाई की जाएगी।						

³³ मैसर्स भोपाल ब्लीचिंग प्रा.लि., रायसेन (2007) 10 एस.टी.जे. 680 (सी.सी.टी., एम.पी.)।

³⁴ भोपाल तथा बुरहानपुर।

हमने इन प्रकरणों को जनवरी तथा सितम्बर 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.17 गलत छूट के कारण कर का कम आरोपण

दो क्षेत्रीय कार्यालय³⁵ तथा ग्यारह वृत्त कार्यालय³⁶

म.प्र. वैट अधिनियम, 2002 की धारा 2(एक्स)(iii) तथा म.प्र. वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 की धारा 2(डब्ल्यू)(v) के अनुसार कुल करयोग्य टर्न ओवर का निर्धारण विक्रय राशि में शामिल कर की राशि घटाने के पश्चात किया जाता है। यहाँ यह भी प्रावधान है कि यदि कुल विक्रय राशि में कर की राशि शामिल नहीं है तो छूट नहीं दी जाएगी।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2009 तथा सितम्बर 2011 के मध्य) कि अवधि 2004-05 से 2008-09 हेतु जनवरी 2008 तथा जुलाई 2010 के मध्य कर निर्धारित/पुनर्करनिर्धारित 13 व्यवसायों के 13 प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने टर्न ओवर का निर्धारण करते समय ₹ 21.63 लाख के कर की छूट की गलत अनुमति प्रदान की जबकि विक्रय मूल्य में कर शामिल नहीं था। छूट की इस

अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप ब्याज ₹ 0.86 लाख सहित ₹ 21.63 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने दो प्रकरणों में ₹ 6.58 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की जिनमें से ₹ 28,276 को करमुक्ति की उपलब्ध मात्रा में समायोजित किया गया था। अन्य नौ प्रकरणों में, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने बताया कि सत्यापन के पश्चात कार्रवाई की जायेगी जबकि शेष दो प्रकरणों में विभाग का उत्तर तथा हमारी टिप्पणी आगामी तालिका में दर्शाये अनुसार है :

³⁵ मुरैना तथा शाजापुर।

³⁶ भोपाल (2), दमोह, ग्वालियर, हरदा, इन्दौर (2), जबलपुर (2), खण्डवा तथा नीमच।

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसायों की संख्या	कर योग्य टर्न ओवर का मूल्य (₹)	कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय कर (₹)	आरोपित कर (₹)	कम आरोपित राशि (₹)	विभाग का उत्तर	हमारी टिप्पणी
1.	शे.रा.अ. मरेना 1	5.47 करोड़	4	21.89 लाख	21.05 लाख	84,196	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि निर्धारित द्वारा विक्रय इनवॉयस में गृथक से कर प्रभारित किया गया था तथा धारा 2(एक्स)(II) के अन्तर्गत छूट नियमानुसार स्वीकृत की गयी थी।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अभिलेख में उपलब्ध लेखाओं में गृथक से कर भुगतान के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
2.	वा.क.अ. वृत्त - दमोह 1	33.65 लाख	12.5	4.21 लाख	3.74 लाख	46,742	कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि कर निर्धारण अधिनियम के अनुसार किया गया था।	हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि अभिलेख में उपलब्ध लेखाओं में गृथक से कर भुगतान के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

हमने प्रकरण को फरवरी 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.18 गलत तरीके से कर मुक्त माने गये विक्रय पर कर का अनारोपण

एक क्षेत्रीय कार्यालय³⁷ तथा दो वृत्त कार्यालय³⁸

म.प्र. वैट अधिनियम सहपठित केन्द्रीय विक्रय कर (के.वि.क.) अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं में अधिनियम की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट वस्तुओं या अधिसूचनाओं के माध्यम से कर मुक्त की गई वस्तुओं को छोड़कर विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय कर की दरें निर्धारित की गई हैं।

हमने अवलोकित किया (अप्रैल 2011 तथा सितम्बर 2011 के मध्य) कि अवधि 2007-08 हेतु मार्च 2010 तथा जुलाई 2010 के मध्य कर निर्धारित तीन व्यवसायों के तीन प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 4.10 करोड़ मूल्य की वस्तुओं जैसे वुलेन फेल्ड कम्पोनेन्ट्स, सील्ड वाटर कंटेनर तथा सिम्स मेमोरी को गलत ढंग से कर मुक्त वस्तुयें मानकर इनके

विक्रय पर कर आरोपित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.96 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है :

³⁷ रातना।

³⁸ जबलपुर तथा नीमच।

(₹ लाख में)

स.क्र.	वस्तु	टर्नओवर	लागू कर की दर (प्रतिशत)	अनारोपित कर की राशि
1.	बूलेन फेल्ड कम्पोजेन्ट	32.35	12.5	4.04
2.	शील्ड वाटर कंटेनर	9.21	12.5	1.15
3.	सिम्स मेमोरी	369.36	4	14.77

हमारे द्वारा प्रकरणों को इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने एक प्रकरण में (स.क्र.-2) ₹ 1.15 लाख की माँग सृजित की जबकि अन्य दो प्रकरणों में अप्रैल 2011 तथा सितम्बर 2011 के मध्य यह बताया गया कि परीक्षण के उपरांत कार्रवाई की जायेगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

हमने प्रकरणों को जनवरी तथा मार्च 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.19 कर की गणना में गलती

सितम्बर 2011 तथा अक्टूबर 2011 के मध्य एक उपायुक्त कार्यालय³⁹ तथा दो वृत्त कार्यालयों⁴⁰ के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने अवलोकित किया कि 2005-06 से 2007-08 की अवधि हेतु नवम्बर 2008 तथा जून 2010 के मध्य कर निर्धारित तीन व्यवसायों के प्रकरणों में कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा गलती से ₹ 21.93 लाख के बजाय ₹ 2.15 लाख का कर आरोपित/समायोजित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 19.78 लाख के कर का कम आरोपण हुआ जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

स.क्र.	इकाई का नाम व्यवसायों की संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	आरोपणीय कर की राशि (₹)	आरोपित कर की राशि (₹)	कम आरोपित कर की राशि (₹)
1.	वा.क.अ., वृत्त-I, भोपाल 1	2007-08 जून 2010	4.16 लाख	40,584	3.75 लाख
सेनेटरी आयटमों के विक्रय पर कर त्रुटिपूर्ण ढंग से ₹ 4.16 लाख के बजाय ₹ 40,584 संगणित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.75 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई। इसे इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया गया था तथा अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।					
2.	उपायुक्त, संभाग-II, इन्दौर 1	2007-08 मई 2010	13.06 लाख	1.32 लाख	11.74 लाख
कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 13.06 लाख के बजाय ₹ 1.32 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.74 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई। इसे इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी।					
3.	वा.क.अ., खण्डवा 1	2005-06 नवम्बर 2008	4.72 लाख	42,891	4.29 लाख
कर निर्धारण प्राधिकारी ने गलत तरीके से कर ₹ 4.72 लाख के बजाय ₹ 42,891 संगणित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.29 लाख के कर की कम प्राप्ति हुई। इसे इंगित किए जाने पर, कर निर्धारण प्राधिकारी ने बताया कि सत्यापन के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। आगामी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।					

³⁹ इन्दौर।

⁴⁰ भोपाल तथा खण्डवा।

हमने प्रकरण को फरवरी तथा मार्च 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

2.20 वृत्ति कर की प्राप्ति होना

वृत्ति कर अधिनियम, 1995 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जो मध्य प्रदेश में स्वयं अथवा किसी एजेंट अथवा किसी प्रतिनिधि द्वारा किसी व्यापार को संचालित करता है अथवा कृषि को छोड़कर कोई अन्य व्यवसाय अथवा पेशा करता है, अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (3) में ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी के सम्मुख निर्दिष्ट दर से वृत्ति कर के भुगतान का दायी होगा। उक्त अधिनियम की धारा 8(2) में यह भी प्रावधान है कि कर का भुगतान करने के दायित्वाधीन ऐसे व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वृत्ति कर निर्धारण प्राधिकारी से एक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

छ: वृत्त कार्यालयों⁴¹ से प्राप्त जानकारी का राज्य आबकारी विभाग द्वारा मदिरा के लायसेंसधारकों, सिनेमा घरों, वीडियो पार्लरों तथा केबिल आपरेटरों के सम्बंध में उपलब्ध कराई गई सूचियों से प्रतिसत्यापन में हमें पता चला कि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु 334 व्यक्ति वृत्ति कर अधिनियम के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर विभाग में अपंजीयत बचे थे, यद्यपि वे वृत्ति कर का

भुगतान करने के दायी थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,000 से लेकर ₹ 2,500 प्रति वर्ष की दर से ₹ 7.62 लाख के वृत्ति कर की प्राप्ति नहीं हुई।

इसे इंगित किए जाने पर, वाणिज्यिक कर अधिकारी, खरगौन ने बताया कि सूचना पत्र जारी करने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी; जबकि अन्य वाणिज्यिक कर अधिकारियों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (मार्च 2013)।

प्रकरण फरवरी तथा अप्रैल 2012 के मध्य विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2013)।

⁴¹

गुना, हरदा, खरगौन, नीमच, सीवा तथा विदिशा।